[2021] 8 एस. सी. आर. 1061

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा)

वी.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

(2020 की सिविल अपील No.1650)

04 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एस. 7 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार द्वारा-याचिका यू/एस। 7 , यदि सीमा द्वारा वर्जित है-तथ्यों पर, अपीलकर्ता बैंक ने कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में सावधि ऋण और ऋण पत्र सह खरीदार के ऋण को मंजूरी दी-हालाँकि, 2013 में कॉर्पोरेट देनदार ने बैंक को अपने बकाया और ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति-एन. पी. ए. के रूप में घोषित किया गया-2014 में कॉर्पोरेट देनदार को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया-इसके अनुसार, 2015 में बैंक ने ऋण की वसूली के लिए आवेदन दायर किया।

बकाया-2017 में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने एक पारित किया

बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र के साथ वसूली आदेश इसके बाद, 2018 में, बैंक ने यू/एस याचिका दायर की। 7 आई. बी. सी. का-तीन महीने के भीतर, बैंक ने अतिरिक्त रिकॉर्ड रखने के लिए आवेदन दायर किया

दस्तावेज़, वसूली आदेश और वसूली प्रमाण पत्र जो था

अनुमति-एक अन्य आवेदन को कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड पत्र पर एक बार के निपटान का प्रस्ताव रखने की अनुमति दी गई, और कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय विवरण-इसके बाद, याचिका यू/एस। 7 न्यायनिर्णायक प्राधिकारी-एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकार किया गया, हालांकि, अपीलीय प्राधिकरण-एन. सी. एल. ए. टी. ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित माना गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः आवेदन यू/एस। 7 सीमा द्वारा वर्जित नहीं, इस आधार पर कि यह निगमित देनदार के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया था-निगमित देनदार द्वारा तीन साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की स्वीकृति थी, जिस स्थिति में सीमा की अवधि तीन साल की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाएगी-डी. आर. टी. द्वारा वसूली आदेश और 2017 में बैंक के पक्ष में जारी वसूली प्रमाण पत्र ने बैंक को एक याचिका शुरू करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण दिया। 7 - 201 में किए गए लाइव दावे के एक बार के निपटारे का प्रस्ताव, और कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट और वित्तीय विवरण

2016-2017 के लिए, देयता की स्वीकृति का गठन करता है जिसने सीमा को तीन साल तक बढ़ा दिया ये दस्तावेज थे

याचिका में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले रिकॉर्ड में लाया गया

यू/एस। 7 , इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. ने आवेदन को सही ढंग से स्वीकार किया।

एस. 7 - आवेदन यू/एस। 7 निगमित दिवालियापन की शुरुआत के लिए

समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)-तीन साल की सीमा अवधि

आवेदन दाखिल करना-वित्तीय लेनदार के पक्ष में ऋण वसूली न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय और डिक्री, साथ ही जारी करना

वसूली प्रमाणपत्र-आयोजितः एक नए कारण को जन्म देगा वित्तीय लेनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई। 7 के लिए

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत, फाइनल की तारीख से तीन साल के भीतर

निर्णय और डिक्री, और/या वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर।

एस. 7 – आवेदन-अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करना

की अनुमति-आयोजितः संशोधन के लिए कानून में कोई रोक नहीं है

अभिवचन, एक याचिका यू/एस में। 7 या याचिका यू/एस के साथ शुरू में दायर किए गए दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए। 7 में से

प्रपत्र-1 में आई. बी. सी.-निषेध करने वाले किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में

या अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना, यह नहीं कर सकता है

यह कहा जाए कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कोई अवैधता की है या

बैंक को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने में त्रुटि जब

अत्यधिक देरी हो रही है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपने स्तर पर

विवेकाधिकार, अतिरिक्त फाइल करने के लिए एक आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार करें

अभिवचन और/या दस्तावेज, और अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ें।

एस. 3 (12) — ' डिफ़ॉल्ट '-की परिभाषा-आयोजितः "गैर-भुगतान" है

किसी ऐसे ऋण का जो देय और देय हो गया हो, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या

कोई भी हिस्सा और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

निर्माण की प्रकृति का उद्देश्य और दायरा-आयोजितः आईबीसी है

सभी लेनदारों के साथ समान व्यवहार के लिए एक लाभकारी कानून

निगमित देनदार, साथ ही अपनी आजीविका की सुरक्षा

यह केवल

निगमित देनदार को पुनर्जीवित करके कर्मचारी/कर्मचारी

निगमित देनदार के हितों को उसके हितों से अलग करता है।

प्रबंधन में प्रवर्तक/व्यक्ति-निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ दंडात्मक मुकदमे के समाधान के लिए ऋणदाताओं को बर्खास्त किया जा सकता है।

निगमित देनदार और उसके लेनदारों के हितों के लिए समान रूप से हानिकारक होना-इस प्रकार, आई. बी. सी. और नियमों और विनियमों के प्रावधान

इसके तहत एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) V.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना, और एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देती है।

सीमा अधिनियम, 1963:

कला. 137 - दिवाला और दिवालियापन संहिता की प्रयोज्यता-आयोजितः सीमा अधिनियम में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है, आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष, इस प्रकार, कला द्वारा शासित है। 137 अनुसूची की जिसमें इस तरह के लिए निर्धारित सीमा की अवधि

एस. 18 - लिखित में स्वीकृति-प्रभाव-आयोजितः एस के अनुसार। 18 , में किए गए वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लेखन और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर

पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं-हालाँकि, स्वीकृति सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले की जानी चाहिए। एक जीवित दावे के एक बार के निपटारे के प्रस्ताव को, सीमा की अवधि के भीतर किया जाता है, जिसे स्वीकार करने के लिए एक पावती के रूप में माना जा सकता है। 18 अधिनियम से।

विधियों की व्याख्याः वैधानिक प्रावधान का निर्माण/व्याख्या-आयोजितः कानून के विधायी इरादे को विधायिका द्वारा स्वयं उपयोग किए गए शब्दों से देखा जाना चाहिए-संदेह की स्थिति में कानून के उद्देश्य और उद्देश्य या इसके पीछे के कारण और भावना को देखना हमेशा सुरक्षित है-प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए। स्वयं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दिवाला की धारा 7 (2) के तहत और

दिवालियापन संहिता, 2016 को दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया।

धारा 7,8,9 और [2021] 8 एस. सी. आर. के साथ पठित धारा 239 की उप-धारा (1) के खंड (सी) (डी) (ई) और (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।

10 आई. बी. सी. के लिए, एक वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए निर्धारित प्रपत्र 1 में आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड शामिल हैं, और जैसा कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट है। [पैरा 71] [1112-बी-डी]

1.2 चूँकि एक वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन करने की आवश्यकता होती है, वैधानिक प्रपत्र 1 में, वित्तीय लेनदार केवल प्रपत्र के विभिन्न स्तंभों में निर्दिष्ट विवरण भर सकता है। विस्तृत दलीलों की कोई गुंजाइश नहीं है। अ.

इसलिए, निर्धारित प्रपत्र में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आवेदन की तुलना मुकदमे में वाद से नहीं की जा सकती है। इस तरह के आवेदन का निर्णय उसी मानकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, जैसे किसी मुकदमे में वाद, या किसी न्यायालय में किसी अन्य अभिवचन द्वारा किया जाता है। [पैरा 73] [1113-ई-एफ]

1.3 आई. बी. सी. केवल ऋणों की वसूली के लिए एक और क़ानून नहीं है। न ही यह एक कानून है जो केवल के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है

किसी निगमित निकाय का परिसमापन, जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो। यह अनिवार्य रूप से एक कानून है जो एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय के पुनरुद्धार की दिशा में काम करता है। [पैरा 79] [1115-ए-बी]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33; पी. मोहनराज और अन्य। वी. शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 152; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्न। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एससीआर 535 -

संदर्भित किया गया।

1.4 आई. बी. सी. का अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। आई. बी. सी. की धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों में प्रभाव, किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद, कुछ समय के लिए लागू, या किसी अन्य साधन, जो ऐसी कानून के आधार पर प्रभावी है। बलपूर्वक वसूली मुकदमे के विपरीत, आई. बी. सी. के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया निगमित डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के हितों के प्रतिकूल नहीं है।

देनदार। दूसरी ओर, आई. बी. सी. निगमित ऋणदाता के सभी ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार के साथ-साथ उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से निगमित ऋणदाता को पुनर्जीवित करके अपने कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है।

इसके प्रबंधन में उन लोगों के अलावा अन्य व्यक्ति, जो अपने लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार के बकाया का भुगतान करने में विफल रहे। यह केवल निगमित देनदार के हितों को उनसे अलग करता है

प्रबंधन में इसके प्रवर्तक/व्यक्ति। [पैरा 84-86] [1120-A-D] 1.5 निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ दंडात्मक मुकदमे के उपाय के लिए ऋणदाताओं को बर्खास्त करना नुकसानदेह हो सकता है

निगमित देनदार और उसके लेनदारों के हित समान रूप से। जबकि विभिन्न मंचों पर एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कई दंडात्मक कार्यवाही इसकी वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है, इसके नकद भंडार को कम कर सकती है, इसकी परिसंपत्तियों को नष्ट कर सकती है।

चल और अचल और इसकी वाणिज्यिक मृत्यु को तेज करते हुए, ऐसी कार्यवाही आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है

लेनदारों के साथ-साथ, मुकदमों में लगने वाले समय की अवधि, मुकदमेबाजी के खर्च और अनिश्चितताओं के कारण मुकदमे में अंतिम सफलता के बाद भी दावों की प्राप्ति। इसलिए, यह अनिवार्य है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से उदारता से समझा जाए, और एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण व्याख्या नहीं दी जाए जो अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर दे। [पैरा 87,88] [1120-डी-जी]

1.6 किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने और/या व्याख्या करने में

कानून के विधायी उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। संदेह के मामले में क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य या कारण और भावना को देखना हमेशा सुरक्षित होता है। इसके पीछे। प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में ही लगाया जाना चाहिए। व्याख्यात्मक प्रयास को लक्ष्य द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए, हालांकि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए

शब्द "। जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा। कानून की पिछली स्थिति, क़ानून का सामान्य दायरा और दायरा और शरारत [2021] 8 एस. सी. आर.

जिनका समाधान करने का इरादा था, वे प्रासंगिक कारक हैं। [पैरा 89,90] [1120-जी-एच; 1121-ए-बी]

पोपटलाल शाह बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274:

[1953] एससीआर 677-पर निर्भर।

1.7 आई. बी. सी. के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर और विशेष रूप से आई. बी. सी. की धारा 7 (2) से (5) के प्रावधानों को 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पढ़ने पर किसी भी समय दस्तावेजों को दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है जब तक कि आवेदन को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। वह समय।

डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाने के लिए धारा 7 (4) में चौदह दिनों की शर्त स्पष्ट रूप से निर्देशिका अनिवार्य नहीं है। 28 दिसंबर, 2019 से प्रभावी संशोधन द्वारा अंतःस्थापित परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने

चूक का पता लगाने और उपरोक्त समय के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित करने पर, वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। कोई अन्य दंड निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (बी) का प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदक को नोटिस देने के लिए बाध्य करता है, ताकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को ठीक किया जा सके।

आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन। जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदक को बुलाता है

कुछ दोषों को ठीक करने के लिए सात दिनों के भीतर दोष को ठीक करना पड़ता है। नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन में दोषों को ठीक करने में असमर्थता के लिए कोई जुर्माना निर्धारित नहीं है, और एक उपयुक्त मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण न्याय के उद्देश्यों के लिए, सात दिनों की समाप्ति के बाद भी, ठीक किए गए आवेदन को स्वीकार कर सकता है। आई. बी. सी. की धारा 12 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय सीमा लागू करती है। यह समय सीमा निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है।

प्रक्रिया। [पैरा 91-94] [1121-C-H; 1122-A]

आर्सेलरमित्तल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता और अन्र। (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एससीआर 362-संदर्भित

को।

1.8 भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय की दिवाला समिति ने मार्च 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट, डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

उन्होंने कहा कि आई. बी. सी. का इरादा उन ऋणों को नया जीवन देने का नहीं हो सकता था जो पहले से ही समयबद्ध थे। इसके बाद, दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा आईबीसी में धारा 238 ए को शामिल किया गया। (2018 का अधिनियम 26), 6 जून 2018 से प्रभावी। [पैरा 97] [1123 जी-एच; 1124-ए]

1.9 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है। एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है। आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है, यानी चूक की तारीख। [पैरा 100,101] [1125-ए-डी]

शेष नाथ सिंह और अन्न। वी. बैद्यबती शेओराफुली

सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्न। (2021) एससीसी ऑनलाइन

एससी 244; गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम। परिसंपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1239: (2019) 10 एससीसी 572: [2019] 13 एससीआर 224; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794; जिग्नेश शाह और अन्न। वी. भारत संघ और एएनआर। (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1254: (2019) 10 एससीसी 750: [2019] 12 एस. सी. आर. 678; वाशदेव आर.

भोजवानी बनाम. अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य।

महाराज संस्थान [1959] 2 पूरक। एससीआर 476-संदर्भित को।

1.10 सीमा अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करना चाहता है, तो प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 106] [1126-ई-एफ] [2021] 8 एस. सी. आर.

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (2020) 15 एस. सी. सी. 1-आश्रित

पर।

1.11 तत्काल मामले में, स्वीकार किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष नए दस्तावेज थे, जिसमें वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के बकाया के एक बार के निपटान के लिए दिनांकित प्रस्ताव पत्र (आई. डी. 1) भी शामिल था। 5. 5 करोड़। अपीलकर्ता बैंक ने ओ. ए. में 27 मार्च, 2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के अलावा 31 मार्च, 2018 तक के वित्तीय विवरणों पर भी भरोसा किया है।

1.12 इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपीलार्थी बैंक द्वारा दायर सभी दस्तावेजों की प्रासंगिकता की जांच करे। इसके अंतरिम आवेदनों के अनुसार 2019 का आई. ए. सं. 27 और

2019 का आई. ए. सं. 131। यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेज 2019 का आई. ए. संख्या 27 और 2019 का आई. ए. संख्या 131 हैं और सहायक हलफनामों में अभिवचन, संबंधित दस्तावेजों की तारीखों से नए सिरे से सीमा की गणना के लिए एक मामला बनाते हैं। यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि दस्तावेजों के निष्पादन के कारण हैं -

अप्रासंगिक। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि उन दस्तावेजों में से कोई भी जबरदस्ती के माध्यम से निकाला गया था। [पैरा 112] [1127-एफ एच]

1.13 सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार,

विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव डालती है जिस दिन पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए। [पैरा 113] [1128-ए बी]

1.14 आई. बी. सी. धारा 14 या 18 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अनुप्रयोग को बाहर नहीं करता है।

इसलिए देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v है। सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 या 18 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। [पैरा 114] [1128-सी-डी]

शेष नाथ सिंह और अन्न। वी. बैद्यबती शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्न। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 244; लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 267; एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. बिशाल जयसवाल और अन्य।

(2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 321; खान बहादुर शापूर फ्रेडूम मजदा बनाम। दुर्गा प्रसाद चमारिया और अन्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1236: [1962] एस. सी. आर. 140-संदर्भित।

1.15 किसी निगमित ऋणदाता की लेखा बहियों और/या तुलन-पत्रों में प्रविष्टियाँ निम्नलिखित स्वीकृति के बराबर होंगीः सीमा अधिनियम की धारा 18। [पैरा 118] [1129-ई-एफ]

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. बिशाल जयसवाल और अन्य। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 321; बंगाल सिल्क मिल्स कं. v. इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़ ए. आई. आर. 1962 ए. आई. आर. 115; री पेंडम टी कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1974 ए. आई. आर. 170; साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम। जनरल कृष्ण शमशेर जंग बहादुर राणा आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712; हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक आई. एल. आर. 1987

कर 2673; रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। होटल पून्जा इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड (2021) 7 एस. सी. सी. 352-संदर्भित।

विशेष रूप से, 3 मार्च, 2017 को किए गए एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव। [पैरा 126] [1134-एफ-जी] 1.17 सीमा अधिनियम की धारा 18 उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित दायित्व की लिखित स्वीकृति की बात करती है, जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। भले ही लेखन

स्वीकृति रखने वाली तारीख अज्ञात है, सबूत [2021] 8 एस. सी. आर. हो सकता है।

उस समय को देखते हुए जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि एक पावती पर्याप्त हो सकती है, भले ही इसके साथ भुगतान करने, देने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया हो या इसे छोड़ने के दावे के साथ जोड़ा गया हो, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया हो। ' 'हस्ताक्षरित' का अर्थ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना है। [पैरा 127] [1134-जी-एच; 1135-ए]

1.18 तत्काल मामले में, 28 मार्च, 2014 को बकाया ब्याज के लिए Rs.111 लाख का भुगतान किया गया था और एक की पेशकश की गई थी।

इसके बाद तीन साल के भीतर समय का निपटान हो गया। जो भी हो,

एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तथ्य की अनदेखी की कि 25 मई 2017 को अपीलार्थी बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कॉर्पोरेट देनदार ने प्रमाण पत्र के संदर्भ में बकाया का भुगतान नहीं किया पुनर्प्राप्ति। वसूली का प्रमाण पत्र अपने आप में अपीलार्थी बैंक को एक याचिका स्थापित करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण देता है।

आई. बी. सी. की धारा 7। धारा 7 आई. बी. सी. के तहत याचिका 28 मार्च 2014 से तीन साल के भीतर थी। [पैरा 128] [1135-बी-सी]

जिग्नेश शाह और अन्न। वी. भारत संघ और एएनआर। (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1254: (2019) 10 एस. सी. सी. 750 [2019] 12 एस. सी. आर. 678; फेरो मिश्र धातु निगम लिमिटेड बनाम। राजहंस स्टील लिमिटेड (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1196-संदर्भित।

1.19 ' डिफ़ॉल्ट 'को धारा 3 (12) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "गैर

"ऐसे ऋण का भुगतान जो देय हो गया है और देय हो गया है, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या किसी भी भाग में और जिसका भुगतान निगमित देनदार द्वारा नहीं किया जाता है।" [पैरा 133] [1136-एफ]

1.20 यह सच है कि जब आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर की गई थी, तो चूक की तारीख 30.09.2013 के रूप में उल्लिखित की गई थी।

और 31.12.2013 को निगमित देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित करने की तारीख बताया गया था। हालाँकि, यह कहना सही नहीं है कि याचिका में ऋण की किसी भी स्वीकृति का कोई दावा नहीं था। इस तरह के कथनों को संशोधन के माध्यम से विधिवत शामिल किया गया था, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने संशोधित अभिवचनों पर सही ढंग से विचार किया।

[पैरा 134] [1136-जी-एच] देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

1.21 अपीलकर्ता बैंक ने 12 अक्टूबर 2018 को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर की। तीन महीने के भीतर,

अपीलकर्ता बैंक ने एन. सी. एल. टी. में एक आवेदन दायर किया, जिसमें अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री दिनांक 27.3.2017 और वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 25.5.2017 सहित अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति के लिए अपीलकर्ता बैंक को सक्षम बनाया गया। ठीक करें Rs.52 करोड़। डी. आर. टी. और वसूली प्रमाणपत्र के निर्णय और आदेश/डिक्री ने अपीलार्थी बैंक को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका शुरू करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण दिया। [पैरा 135] [1137-ए-बी]

1.22 5 मार्च 2019 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता बैंक ने अतिरिक्त अभिलेख रखने की अनुमति के लिए एक और आवेदन दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि और फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के दस्तावेज और एक बार के निपटारे का प्रस्ताव करने वाला 3 मार्च 2017 का पत्र। यह

6 मार्च 2021 को भी आवेदन की अनुमति दी गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नए दस्तावेजों को ध्यान में रखा और

IBC.Even की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए यह मानते हुए कि दस्तावेज़ों को बाद के चरण में रिकॉर्ड पर लाया गया था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस पर विचार करने से नहीं रोका गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका में कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया गया था। [पैरा 136,137] [1137-सी-ई]

1.23 एक अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री निर्णय देनदार पर बाध्यकारी है। एक बार जब कोई दावा अंतिम निर्णय में परिणत हो जाता है और निर्णय लेने पर आदेश/डिक्री, और वसूली का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अपने अवमूल्यन बकाया का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है, अंतिम निर्णय और/या आदेश/डिक्री और/या वसूली प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए लेनदार को एक नया अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार अपीलार्थी बैंक यू/एस द्वारा कार्यवाही शुरू करने का हकदार था। 7 वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर। अपीलार्थी बैंक की याचिका पर कम से कम 24 मई, 2020 तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। [पैरा 138,139] [1137-ई-जी]

1.24 हालांकि यह सच है कि ऋण के भुगतान में चूक के कारण

निगम समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार, और आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत एक याचिका दायर करने की आवश्यकता है [2021] 8 एस. सी. आर.

1.25 सीमा अधिनियम की धारा 18 को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के संबंध में पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ भी नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय कोई कारण नहीं देखता है कि सीमा की अवधि के भीतर किए गए लाइव दावे के एकमुश्त निपटारे के प्रस्ताव को भी आकर्षित करने के लिए एक पावती के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। सीमा अधिनियम की धारा 18। 2016-2017 के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता की तुलनपत्र और वित्तीय विवरण, देयता की स्वीकृति का गठन करते हैं, जिसने सीमा को तीन साल के लिए बढ़ा दिया, इस तथ्य के अलावा कि मई 2017 में अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। एन. सी. एल. टी. ने 21 मार्च, 2019 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को सही ढंग से स्वीकार किया। [पैरा 141] [1138-बी-डी]

1.26 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन को इस आधार पर सीमित नहीं किया जाएगा कि यह ऋण की घोषणा की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था।

एन. पी. ए. के रूप में निगमित देनदार का खाता, यदि निगमित देनदार द्वारा तीन साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की स्वीकृति थी, तो उस स्थिति में सीमा की अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

तीन साल। इसके अलावा, डी. आर. टी. या किसी अन्य न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा वित्तीय लेनदार के पक्ष में धन के लिए एक निर्णय और/या डिक्री, या वित्तीय लेनदार के पक्ष में वसूली का प्रमाण पत्र जारी करना, वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई का एक नया कारण पैदा करेगा, निर्णय और/या डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर या वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर, यदि निर्णय और/या डिक्री और/या डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर

वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में, या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया। [पैरा 142,143] [1138-डी-एच]

1.27 दलीलों के संशोधन पर कानून में कोई रोक नहीं है।

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन में, या अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए, शुरू में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अलावा प्रपत्र-1 में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन। किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में जो या तो निषेध करता है या एक समय निर्धारित करता है

अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की सीमा, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसमें कोई अवैधता या त्रुटि की है। अपीलार्थी बैंक को अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति देना।

हालाँकि, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जब अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपने विवेक से, अतिरिक्त अभिवचन और/या दस्तावेज दायर करने के लिए एक आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, और एक अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। न्यायनिर्णायक का निर्णय

अभिवचन, और ऐसे दस्तावेजों और अभिवचनों पर विचार करने के लिए अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। विवादित निर्णय और आदेश कानून और तथ्यों में अस्थिर है। [पैरा 144,145] [1138-एच; 1139 ए-डी]

नजीर मोहम्मद बनाम। जे. कमला और ओआरएस। (2020) एससीसी

ऑनलाइन एससी 676

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 13 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

(2020) 15 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 80

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पै

रा 83

[1953] एससीआर 677

उस पर भरोसा करें

पै

रा 89

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पै

रा 95

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पै

रा 102

[2019] 12 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पै

रा 104

[1959] 2 पूरक। एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

[1962] एससीआर 140

संदर्भित किया गया है

पै

रा 117

ए. आई. आर 1962 कैल

संदर्भित किया गया है

पै

रा 118

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1974 कैल 170

पै

रा 118

आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712

पै

रा 118

संदर्भित किया गया है

आई. एल. आर. 1987 कर 2673

संदर्भित किया गया है

पै

रा 118

(2021) 7 एस. सी. सी. 352

पै

रा 123

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पै

रा 129

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1650

2020 से।

अपीलीय के 18.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 407 में न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.)।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश कुमार-आई, अनंत गौतम, निपुन

शर्मा, मधुर तेवतिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदिरा बनर्जी, जे.

1. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा पारित 18 दिसंबर 2019 के एक निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा दायर 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.407 को अनुमति दी गई है और दिनांकित एक आदेश को रद्द कर दिया गया है। 21 मार्च 2019 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), बेंगलुरु द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 (निगमित ऋणदाता) के खिलाफ अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर याचिका को सी. पी. (आई. बी.) No.244/बी. बी./2018 स्वीकार किया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी बैंक की उक्त याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 निगमित ऋणदाता का निदेशक होता है।

2. 23 दिसंबर, 2011 के एक पत्र द्वारा अपीलकर्ता बैंक ने

कॉर्पोरेट ऋणदाता के पक्ष में स्वीकृत सावधि ऋण और ऋण पत्र और खरीदारों का ऋण, जिसकी अधिकतम सीमा रु। 45.00 करोड़।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

3. उक्त सावधि ऋण का भुगतान 24 तिमाही किश्तों में किया जाना था। 187.50 लाख, जो तारीख के दो साल बाद शुरू होने वाले थे

संवितरण और पूरे सावधि ऋण का भुगतान आठ वर्षों में किया जाना था, जिसमें एक वर्ष की कार्यान्वयन अवधि और स्थगन अवधि शामिल थी।

4. निगमित देनदार ने अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में मांग वचन पत्र, सामान्य ग्रहणाधिकार पत्र आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया और अपीलकर्ता बैंक के साथ उक्त अचल संपत्ति के विलेखों का स्वामित्व जमा करके अपील की याचिका में निर्दिष्ट अपनी अचल संपत्ति में अपने पट्टा धारण अधिकारों को भी गिरवी रखा।

5. 20 सितंबर, 2013 को कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता बैंक को अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की। का ऋण खाता

इसलिए 31 दिसंबर 2013 को निगम को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) घोषित किया गया था।

6. निगमित देनदार ने 24 मार्च 2014 को अपीलकर्ता बैंक को एक पत्र लिखा, जिसमें सावधि ऋण के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी बैंक ने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। 7. 22 दिसंबर 2014 को, अपीलकर्ता बैंक ने निगमित ऋणदाता के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 को कानूनी नोटिस जारी किया।

8. 1 जनवरी 2015 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत ओ. ए. संख्या 16/2015 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसे अब के रूप में जाना जाता है। ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 और इसके बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में, डी. आर. टी.) बैंगलोर के समक्ष 'ऋण वसूली अधिनियम' के रूप में संदर्भित

22 दिसंबर 2014 को Rs.52,12,49,438.60।

9. 5 जनवरी 2015 के एक पत्र द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार ने 22 दिसंबर 2014 के उक्त नोटिस का जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया गया था

एक बार फिर, कि ऋण का पुनर्गठन किया जाए। अपीलकर्ता बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट देनदार ने 5 जनवरी 2015 के अपने उपरोक्त पत्र द्वारा अपीलकर्ता बैंक के प्रति अपनी देनदारी स्वीकार कर ली थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. 3 मार्च 2017 को या उसके आसपास, जब कार्यवाही लंबित थी

डी. आर. टी. में, निगमित देनदार ने रुपये के भुगतान पर सावधि ऋण खाते के एकमुश्त निपटान के लिए एक प्रस्ताव दिया। 5. 50 करोड़। हालाँकि, प्रस्ताव को अपीलार्थी बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

11. 27 मार्च 2017 को, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बेंगलुरु ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ एक अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री पारित की। उक्त ओ. ए. No.16/2015 में, आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक, 16.55% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज के साथ Rs.52,12,49,438.60 की वसूली के लिए।

12. 25 मई 2017 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाणपत्र संख्या 2060/2017 जारी किया।

कॉर्पोरेट देनदार से Rs.52,12,49,438.60 की वसूली के लिए। इसके बाद 19 जून 2017 को कॉरपोरेट देनदार ने एक बार फिर अपीलकर्ता बैंक को ऋण के पारस्परिक निपटान के लिए एक बार के निपटान का प्रस्ताव दिया।

राशि।

13. अपीलकर्ता बैंक की ओर से पेश श्री मेहता ने बताया कि निगमित ऋणदाता ने वित्तीय वर्षों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि

15. इसके लगभग तीन महीने बाद, 2 जनवरी 2019 की जी. एस. आर. संख्या 2 (ई) अधिसूचना द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कर दिया। 16. 9 जनवरी 2019 को, अपीलकर्ता बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी के नियम 11 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया

विधि न्यायाधिकरण नियम 2016 को इसके बाद 'एन. सी. एल. टी. नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है। 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के नियम 4 के साथ पढ़ें, जिसे आई. ए. No.27/2019 दिनांक 9 जनवरी 2019 को सी. पी. (आई. बी.) No.244/बी. बी./2018 में अंतिम डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सहित अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति के लिए पढ़ा गया है।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

डी. आर. टी. द्वारा जारी ओ. ए. सं. 16/2015 और रिकवरी प्रमाणपत्र No.2060/2017 दिनांक 25.05.2017 में डी. आर. टी. का निर्णय और आदेश दिनांक 27.03.2017।

17. 2 फरवरी 2019 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर याचिका पर अपनी प्रारंभिक आपत्ति दायर की।

आई. बी. सी., अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए कि उक्त याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

18. 4 फरवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलकर्ता बैंक के आवेदन को आई. ए. सं. 27/2019 में होने की अनुमति दी।

सी. पी. (आई. बी.) No.244/बी. बी./2018, और अपीलार्थी बैंक को आई. ए. No.27/2019 आवेदन में निर्दिष्ट दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह अपीलार्थी बैंक के वकील को तदनुसार कंपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे।

19. 5 मार्च 2019 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता बैंक ने एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 11 के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसका आई. ए. No.131

2019 सी. पी. (आई. बी.) No.244/बी. बी./2018 में, अपीलीय बैंक को निगमित ऋणदाता के दिनांकित 03.03.2017 पत्र सहित अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष

2019 के No.131 के अनुसार, अपीलकर्ता बैंक को रजिस्ट्री में दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। 20. 21 मार्च 2019 के एक आदेश द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार किया, जो सी. पी. (आई. बी.) No.244/बी. बी./2018 है और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया। निगमित ऋणदाता की ओर से उठाई गई सीमा के प्रतिबंध की आपत्ति पर विस्तार से विचार किया गया, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा खारिज कर दिया गया।

21. 6 अप्रैल 2019 को, प्रतिवादी संख्या 1 ने आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष सी. ए. (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.407/2019 के रूप में एक अपील दायर की। अपीलार्थी बैंक ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए 21 मार्च 2019 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश का समर्थन करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया।

22. अपीलकर्ता बैंक, प्रतिवादी संख्या 1 और कॉर्पोरेट देनदार को सुनने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने 21 मार्च [2021] 8 एस. सी. आर. के आदेश को रद्द कर दिया।

2019 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) बेंगलुरु द्वारा पारित किया गया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, यह मानते हुए कि उक्त आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

23. इस अपील में इस न्यायालय के विचार के लिए जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. ने इस पर पहुंचने में कानूनी रूप से गलती की है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, और उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 21 मार्च 2019 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।

24. दूसरे शब्दों में, इस अपील में शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका पर रोक लगाई जाएगी

सीमा, एकमात्र इस आधार पर कि यह निगमित ऋणदाता के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से 3 साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, भले ही निगमित ऋणदाता ने बाद में अपीलकर्ता बैंक के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार किया हो, धारा 7 के तहत याचिका दायर करने की तारीख से पहले तीन साल की अवधि के भीतर।

आई. बी. सी., एकमुश्त निपटान के लिए एक प्रस्ताव बनाकर, या अपनी वैधानिक तुलनपत्रों और ऋण पुस्तिकाओं में ऋण को स्वीकार करके

खाते।

25. इस न्यायालय के विचार के लिए एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या वित्तीय लेनदार के पक्ष में डी. आर. टी. का अंतिम निर्णय और डिक्री, या वित्तीय लेनदार के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी करने से वित्तीय लेनदार को अंतिम निर्णय और डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने और/या वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर कार्रवाई करने का एक नया कारण मिलेगा।

26. तीसरा मुद्दा जो इस न्यायालय के निर्णय के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत किसी याचिका में, या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत फॉर्म-1 में याचिका के साथ शुरू में दायर किए गए दस्तावेजों के अलावा, अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के अलावा, अभिवचनों के संशोधन के लिए कोई कानूनी बाधा है।

27. अपीलकर्ता बैंक की ओर से पेश श्री मेहता ने कहा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 21 मार्च को अपना आदेश पारित किया था 2019 , आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ उसके अंतरिम आवेदन 2019 का आई. ए. संख्या 27 और डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

2019 का आई. ए. No.131, और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी बैंक द्वारा दायर याचिका द्वारा वर्जित नहीं थी सीमा।

28. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रतिवादी संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर लिया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया है और धारा 7 के तहत अपीलकर्ता बैंक की याचिका को खारिज कर दिया है। आई. बी. सी. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव देता हो कि कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता बैंक के लिए अपने ऋण को स्वीकार किया था। अपीलीय प्राधिकरण ने 2019 के आई. ए. No.131 के साथ अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर दस्तावेजों की अनदेखी की है, जिन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमति दी गई थी।

29. श्री मेहता ने बताया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने जिग्नेश शाह और अन्न में इस अदालत के फैसलों का हवाला दिया। वी. भारत संघ और Anr.[1] और गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

(इंडिया) लिमिटेड और Anr.2 ने अभिनिर्धारित किया कि निगमित देनदार के खाते को 31 दिसंबर 2013 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका, जो पांच साल बाद दायर की गई थी, सीमा द्वारा वर्जित थी।

30. श्री मेहता ने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने एक निष्कर्ष दिया था

कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि निगमित देनदार ने अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी बैंक के समक्ष अपना ऋण स्वीकार किया था, जिसमें शामिल हैं:

((i)

Rs.111 के भुगतान के लिए निगमित देनदार का प्रवेश

28 मार्च, 2014 को ऋण पर ब्याज के लिए रु.

((ख)

निगम ऋणदाता का 5 जनवरी, 2015 का पत्र

अपीलार्थी बैंक, मांग सूचना के जवाब में,

अपीलार्थी बैंक के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार करना।

(iii)

डी. आर. टी., बैंगलोर ने 9 दिसंबर 2015 को या उसके आसपास अपीलार्थी बैंक के Rs.52,04,438 के दावे को निराधार बताते हुए अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह स्वीकार करते हुए कि राशि का वह हिस्सा देय था।

((iv) राज्य के वित्तीय विवरण और तुलनपत्र

वर्ष 2016-2017 (31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष) और वर्ष 2017-2018 (वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष) के लिए निगमित देनदार

31 सेंट मार्च 2018)।

1. 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1254: (2019) 10 एससीसी 750 2. 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1239: (2019) 10 एससीसी 572 [2021] 8 एस. सी. आर.

(v)

निगमित देनदार द्वारा निपटान के लिए 03.03.2017 पर दिया गया प्रस्ताव

रुपये के एकमुश्त भुगतान पर अपीलार्थी बैंक को उसका बकाया। 5. 5 करोड़।

(vi) डी. आर. टी., बेंगलुरु द्वारा 27 मार्च, 2017 को अंतिम निर्णय और डिक्री/आदेश, ओ. ए. संख्या 16/2015 में अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में Rs.52,12,49,438.60 की राशि के लिए पारित किया गया, जिसमें भविष्य में प्रति वर्ष 16.55% ब्याज और 25 मई 2017 को डी. आर. टी. द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र No.2060/2017 शामिल है।

यह दर्शाता है कि ऋण जीवित था और एक निर्वाह जुराल था संबंध। आई. डी. 1 पर, तीन वर्षों के भीतर, निगमित देनदार ने अपीलकर्ता बैंक के साथ अपने सावधि ऋण खाते के एकमुश्त निपटान (ओ. टी. एस.) के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऐसा करते हुए, निगमित देनदार ने अपीलकर्ता बैंक के प्रति अपनी देनदारी को स्वीकार किया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका इस तरह की स्वीकृति की तारीख से तीन साल के भीतर दायर की गई थी।

32. श्री मेहता ने यह भी बताया कि 27 मार्च 2017 को डी. आर. टी., बेंगलुरु ने एक अंतिम निर्णय पारित किया था और एक राशि के लिए आदेश/फरमान जारी किया था।

ओ. ए. No.16/2015 में अपीलार्थी बैंक के पक्ष में Rs.52,12,49,438.60 के साथ-साथ आवेदन की तारीख से वसूली की तारीख तक मासिक विश्राम के साथ प्रति वर्ष 16.55% पर भविष्य के ब्याज के साथ, और निगमित देनदार और प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त राशि की वसूली के लिए दिनांक 25 मई 2017 को 2017 का वसूली प्रमाण पत्र No.2060 जारी किया था। अपीलकर्ता बैंक ने उपरोक्त तिथियों से 3 साल के भीतर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर की।

33. श्री मेहता ने यह भी प्रस्तुत किया कि निगमित ऋणदाता ने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों में लिखा था।

2017 और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि में यह स्वीकार किया गया कि निगमित ऋणदाता ने अपने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी। अपीलार्थी बैंक। 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए निगमित ऋणदाता के वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 तक ब्याज के साथ-साथ अपीलार्थी बैंक को देय राशि 1 करोड़ रुपये है, लेकिन इसमें दंडात्मक ब्याज शामिल नहीं है।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

34. श्री मेहता ने तर्क दिया कि इस प्रकार निगमित ऋणदाता ने ऋणदाता और ऋणदाता के बीच न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार किया था।

निगमित ऋणदाता और अपीलकर्ता बैंक, जो इससे स्पष्ट है

ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़। इस न्यायालय में दायर अपनी आपत्तियों में, प्रत्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 28 मार्च 2014 को अपीलकर्ता बैंक के साथ कॉर्पोरेट देनदार के चालू खाते में 1 लाख रुपये जमा किए, जिससे यह स्वीकार किया गया कि कॉर्पोरेट देनदार और अपीलकर्ता बैंक के बीच देनदार और लेनदार का न्यायिक संबंध 31 दिसंबर, 2013 के बाद भी जारी रहा।

35. श्री मेहता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि निगमित देनदार ने 3 मार्च 2017 को एक पत्र भेजा था

ऊपर निर्दिष्ट No.2060/2017, जिसने अपीलकर्ता बैंक को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म दिया, रिकॉर्ड के मामले हैं और किसी भी मामले में, विधिवत स्वीकार किए गए हैं। 36. शेष नाथ सिंह और अन्र मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए। वी. बैद्यबती शेओराफुली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और Anr.[3], लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और Ors.[1] और परिसंपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. बिशाल जयसवाल और अन्य। श्री मेहता ने तर्क दिया कि सीमा अधिनियम की धारा 18 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू होती है। यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं था।

37. दूसरी ओर, श्री गौतम शिवशंकर उपस्थित होते हुए

प्रत्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आई. बी. सी. की योजना के तहत, एन. सी. एल. ए. टी. तथ्यों के निर्धारण के लिए अंतिम मंच है। श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा एक तथ्यात्मक निर्धारण है कि रिकॉर्ड सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण की कोई स्वीकृति प्रकट नहीं करते हैं।

38. श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने स्वीकृति धारण करने के प्रश्न से विधिवत निपटा हैः 3. 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 244 4. 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 267 5.2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 321 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

" वर्तमान मामले में रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि 'कॉर्पोरेट देनदार' ने तीन साल के भीतर ऋण स्वीकार कर लिया और ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। ऋण के पुनर्गठन या ब्याज के भुगतान के लिए 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा दायर आवेदन ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि 'कॉर्पोरेट देनदार' या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने हस्ताक्षर से चूक की तारीख से तीन साल के भीतर या खाते को एन. पी. ए. घोषित किए जाने की तारीख से ऋण को स्वीकार या स्वीकार किया है।

अर्थात 31 दिसंबर 2013 को। का तुलनपत्र

' 31 तारीख के बाद दाखिल किए गए वर्ष 2016-2017 के लिए निगमित देनदार

मार्च 2017 को एक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है

सीमा अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में स्वीकृति।

39. श्री शिवशंकर के अनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. इस तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से सही था कि अपीलार्थी की याचिका आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

41. श्री शिवशंकर ने जोर देकर तर्क दिया कि अपीलकर्ता बैंक ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपनी याचिका 12 अक्टूबर 2018 को दाखिल की, जो चूक की तारीख के लगभग पांच साल बाद थी और इस प्रकार यह समय सीमा से काफी आगे थी। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत तीन साल की सीमा।

42. श्री शिवशंकर ने बताया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका में चूक की तारीख 30 सितंबर 2013 और कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित करने की तारीख 31 दिसंबर 2013 का उल्लेख किया गया है। किसी की याचिका में कोई दलील नहीं थी।

ऋण की स्वीकृति जिसने सीमा की अवधि को बढ़ाया। 43. श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 (3) के तहत, एक वित्तीय लेनदार को "डिफ़ॉल्ट दर्ज किए गए डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) का रिकॉर्ड" प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निर्दिष्ट "और" बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य जानकारी "। 44. श्री शिवशंकर ने आगे तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 (4) के अनुसार, एन. सी. एल. टी. को "आई. बी. सी. से चूक के अस्तित्व का पता लगाने" की आवश्यकता थी।

"आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर" उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत किसी सूचना उपयोगिता के अभिलेख या अन्य साक्ष्य के आधार पर। श्री शिवशंकर ने आगे तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के तहत, एन. सी. एल. टी. वित्तीय लेनदार को अपने आवेदन में किसी भी दोष को सुधारने के लिए सात दिन की अनुमति दे सकता है।

45. श्री शिवशंकर ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का तर्क दिया,

आई. बी. सी. में स्पष्ट रूप से निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के बजाय और उसमें निर्धारित समय सीमा का पालन किए बिना, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न के निर्णय में चार महीने की देरी हुई, और अपीलकर्ता बैंक को विलंबित चरण में दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गई और उत्तरदाताओं द्वारा कड़ी आपत्तियों के बावजूद एन. सी. एल. टी. द्वारा इन दस्तावेजों पर विचार किया गया।

46. श्री शिवशंकर ने आगे तर्क दिया कि 2 फरवरी 2019 को,

निगमित देनदार ने याचिका पर अपनी प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की

47. श्री शिवशंकर ने कहा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता बैंक को दी गई सीमित स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए मामले का सार और कुछ आदेशों/निर्णयों को दाखिल करते हुए, अपीलकर्ता बैंक ने न्यायाधिकरण की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए, 2019 का आई. ए. संख्या 131 दायर किया, जिसमें दस्तावेजों का एक पूरा नया सेट पेश किया गया और ऋण की कथित स्वीकृति के आधार पर सीमा बढ़ाने के लिए एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया गया।

48. श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि 2019 का आई. ए. <आई. डी. 1

एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित। ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज़ पेश किए गए थे।

पहली बार। इस स्तर पर भी सभी दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे। कुछ दस्तावेज़ कभी भी एन. सी. एल. टी. में दाखिल नहीं किए गए थे और पहले एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर जवाब में रिकॉर्ड में लाए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. श्री शिवशंकर ने प्रस्तुत किया कि 6 मार्च 2019 को एन. सी. एल. टी. ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता बैंक के विद्वान वकील को अनुमति दी गई उत्तरदाताओं को उनकी प्रतियां देने के बाद रजिस्ट्री में दस्तावेजों का एक सेट दाखिल करें और मामले को 18 मार्च 2019 को पोस्ट करें।

श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों ने विशेष रूप से अतिरिक्त दस्तावेजों को देर से दाखिल करने पर आपत्ति जताई थी। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए 21 मार्च 2019 को अपना आदेश पारित किया।

50. श्री शिवशंकर ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने तुरंत

एन. सी. एल. ए. टी. को यह तर्क देते हुए अपील की गई कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलकर्ता बैंक को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर अपनी मूल याचिका में काफी सुधार करने की अनुमति देने में गलती की थी।

चूक का पता लगाने के लिए धारा 7 में निर्दिष्ट चौदह दिनों की समाप्ति के बाद अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना और एक पूरी तरह से नया मामला बनाना। श्री शिवशंकर ने प्रस्तुत किया कि इसी पृष्ठभूमि में एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 4 में तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाला कि यह कहने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि ऋण की कोई स्वीकृति, नवीनीकरण या सीमा बढ़ाने की बात है।

51. श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सीमा अधिनियम आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू होता है। श्री शिवशंकर

इस बात पर भी सहमति हुई कि सीमा अधिनियम की धारा 18 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. में कार्यवाही पर लागू होगी। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि इस अपील में जो बात विचार के लिए आती है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी बैंक ने सीमा अधिनियम की धारा 18 को आकर्षित करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपनी याचिका के साथ पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर रखी थी।

52. श्री शिवशंकर ने अंत में तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 62, जिसके तहत यह अपील दायर की गई है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के एक आदेश से एन. सी. एल. ए. टी. को की गई अपील के विपरीत, कानून के प्रश्नों तक ही सीमित है, जो तथ्यों और कानून दोनों पर एक अपील है। 53. श्री शिवशंकर ने नजीर मोहम्मद बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। जे. कमला और ओआरएस "। , हम में से एक द्वारा लिखित (इंदिरा)

जे. बनर्जी) जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" "मामले में शामिल" कानून का प्रश्न होने के लिए, सबसे पहले, अभिवचनों में इसकी नींव रखी जानी चाहिए, और

6. 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 676 देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

तथ्यों के न्यायालयों द्वारा तथ्य के स्थायी निष्कर्षों से प्रश्न उभरना चाहिए, और यह आवश्यक होना चाहिए एक न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए कानून के उस प्रश्न का निर्णय लें

मामला। (जोर दिया गया)

54. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मामले में शामिल कानून का सवाल होने के लिए पहले एक नींव रखी जानी चाहिए।

अभिवचनों में, और प्रश्न तथ्यों के न्यायालयों द्वारा प्राप्त तथ्य के स्थायी निष्कर्षों से उभरना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नजीर मोहम्मद बनाम में दोहराया गया है। जे. कमला (ऊपर), सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील के संदर्भ में प्रस्तुत की गई।

55. श्री शिवशंकर ने इसके बाद बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

'प्राइवेट लिमिटेड', जहाँ इस न्यायालय ने जे. माहेश्वरी के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 35. उपरोक्त के अलावा और भले ही यह माना जाए कि धारा 18 के अनुसार स्वीकृति से संबंधित सिद्धांत सीमा अधिनियम संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए समय बढ़ाने के लिए लागू होता है।

हमारा विचार है कि न तो उक्त प्रावधान और सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होते हैं और न ही वे प्रतिवादी 2 के लाभ के लिए इस मौलिक कारण से आश्वस्त करते हैं कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष किया गया आवेदन, विशेष रूप से प्रत्यर्थी 2

डिफ़ॉल्ट की तारीख "8-7-2011 एन. पी. ए. की तारीख" के रूप में बताई गई है। यह निर्विवाद है कि न तो कोई अन्य तिथि है

आवेदन में चूक बताई गई है और न ही किसी स्वीकृति के बारे में कोई सुझाव दिया गया है। जैसा कि देखा गया है, आवेदन के भाग 5 में भी, प्रतिवादी 2 को दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण का विवरण बताना आवश्यक था। रिकॉर्ड में। आवेदन के उक्त भाग 5 में और यहां तक कि उसमें अवशिष्ट बिंदु 8 में भी आवेदक द्वारा दिए जा सकने वाले विभिन्न विवरणों में, तथाकथित पावती या चूक की किसी अन्य तिथि के बारे में किसी भी स्थान पर कुछ भी नहीं कहा गया था।

35.1 . इसलिए, वर्तमान मामले की स्वीकृत तथ्य स्थिति पर, जहां केवल "8-7-2011" के रूप में डिफ़ॉल्ट की तारीख दी गई है।

आवेदन को बनाए रखने के उद्देश्य से कहा गया है संहिता की धारा 7, और किसी भी पावती या चूक की किसी अन्य तिथि का सुझाव देने के लिए आवेदन में कोई आधार भी नहीं रखा गया है, हमारे विचार में, बाद के चरण में प्रतिवादी 2 की ओर से विकसित किए जाने वाले प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह सामान्य बात है कि सीमा का प्रश्न अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब

पार्टी किसी विशेष प्रावधान को लागू करना चाहती है

सीमा अवधि का विस्तार या विस्तार,

प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी 2 ने आवेदन में चूक की तारीख को "8-7-2011" के रूप में बताने के अलावा कभी भी कोई अभिवचन नहीं किया। यह स्थिति होने के कारण, सीमा अवधि के विस्तार का कोई मामला जांच के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत

लागू होते हुए, यह वर्तमान मामले में विचाराधीन आवेदन पर लागू नहीं होगा, जिसमें चूक के संबंध में बहुत ही अभिकथन को देखते हुए और पावती के संबंध में किसी अन्य अभिकथन के अभाव के लिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, महाबीर शीत भंडारण में निर्णय पर निर्भरता [महाबीर शीत भंडारण बनाम। सी. आई. टी., 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 402] प्रतिवादी 2 के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है।

56. श्री शिवशंकर ने उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि

कि ऋण की स्वीकृति के आधार पर सीमा बढ़ाने की याचिका का आधार दलीलों में होना चाहिए और इसे बाद के चरण में विकसित नहीं किया जा सकता है। श्री शिवशंकर ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि इस मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा के विस्तार के मामले के लिए अभिवचनों में कोई आधार नहीं था।

57. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि एनसीएलटी की कार्यवाही के अंतिम चरण में दलीलों में सुधार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री शिवशंकर ने आगे तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, अपीलकर्ता बैंक द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का उचित निर्माण यह दिखाएगा कि वे सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत स्वीकृति के बराबर नहीं हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी स्वीकृति "किसी मुकदमे या आवेदन के लिए सीमा की अवधि की समाप्ति से पहले" की जानी चाहिए।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

58. श्री शिवशंकर ने मुंशी लाल बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया। हीरा लाल & Anr.[3], जहाँ उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" अब, यह स्पष्ट है कि एक दस्तावेज़ को एक पावती का गठन करने के लिए कहा जाता है, जिसका अर्थ उस संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें इसे दिया गया है और यह कि, जहां इसकी भाषा अपने आप में स्पष्ट नहीं है, संदर्भ की जांच की जा सकती है कि यह क्या है जिसके लिए शब्द संदर्भित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पावती में किसी भी संदेह को यह पता लगाने से ठीक किया जा सकता है कि पावती देने वाले का संभावित इरादा क्या था। यह बिल्कुल अलग बात है। लेकिन, जहां, संदर्भ के प्रकाश में जांच करने के बाद यह क्या था कि स्वीकृति देने वाला व्यक्ति वास्तव में निष्कर्ष का उल्लेख कर रहा था, यह इस प्रकार है कि यह एक है

एक अधिकार की स्पष्ट स्वीकृति, फिर कि

सीमा अधिनियम की धारा 19 को संतुष्ट करने के लिए स्वीकृति पर्याप्त है।

59. श्री शिवशंकर ने आगे बताया कि अपीलार्थी द्वारा जारी कानूनी नोटिस पर 5 जनवरी 2015 को निगमित देनदार का जवाब

बैंक, डी. आर. टी., बेंगलुरु के समक्ष ओ. एस. No.16/2015 में निगमित देनदार द्वारा दायर जवाब, दिनांक 3 मार्च 2017 का ओ. टी. एस. प्रस्ताव, दिनांक 19 जून 2017 का ओ. टी. एस. प्रस्ताव और वित्तीय वर्षों के लिए निगमित देनदार और निगमित देनदार की एक समूह कंपनी, अर्थात् कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तुलनपत्र/वार्षिक रिपोर्ट।

60. श्री शिवशंकर ने यह भी तर्क दिया कि कॉरपोरेट देनदार द्वारा 24 मार्च 2014 को लिखा गया पत्र रिकॉर्ड में नहीं था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही। एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी बैंक द्वारा दायर जवाब के साथ पहली बार दस्तावेज़ पेश किया गया था। इस दस्तावेज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।

8 आई. एल. आर. 1947 सभी 11: आकाशवाणी 1947 ऑल 74 (एफ. बी.)

21] 8 एस सी आर।

61. श्री शिवशंकर ने अंत में प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थियों के संचार केवल शांति प्राप्त करने और मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए थे और इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 18 के उद्देश्य के लिए ऋण की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

62. गौरव मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए

हरगोविंदभाई दवे (ऊपर), श्री शिवशंकर ने तर्क दिया कि एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव को सीमा अधिनियम की धारा 18 के उद्देश्य के लिए ऋण की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

63. श्री शिवशंकर ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि गौरव मामले में फैसले के खिलाफ इस अदालत में एक समीक्षा याचिका लंबित है।

हरगोविंदभाई दवे (ऊपर)। हालाँकि, यह माना जा सकता है कि फैसले के प्रभाव पर रोक नहीं लगाई गई है। जब तक समीक्षा आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है और निर्णय को उलट नहीं दिया जाता है, तब तक यह एक मिसाल के रूप में काम करेगा।

64. श्री शिवशंकर ने अंत में जिग्नेश शाह (ऊपर) का हवाला दिया जहाँ इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" उपरोक्त निर्णयों में सही कहा गया है कि कार्रवाई के कारण के आधार पर वसूली के लिए एक मुकदमा जो सीमा के भीतर है।

समापन कार्यवाही के अलग और स्वतंत्र उपचार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। कानून में, जब समय चलना शुरू होता है, तो इसे केवल सीमा अधिनियम में दिए गए तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत दायित्व की स्वीकृति निश्चित रूप से सीमा अवधि को बढ़ाएगी, लेकिन वसूली के लिए एक मुकदमा, जो समापन के उपाय से अलग एक अलग और स्वतंत्र कार्यवाही है, किसी भी तरह से सीमा को प्रभावित नहीं करेगा।

जिसे समाप्त करने की कार्यवाही दायर की जानी है, किसी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से ऋण को जीवित रखते हुए।

आगे बढ़ रहा है "।

65. श्री शिवशंकर ने इस दलील के साथ अपनी दलीलें समाप्त कीं कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका वसूली पर आधारित नहीं थी। डी. आर. टी. या डी. आर. टी. के निर्णय और आदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र। इसलिए, वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में भुगतान करने में विफलता की तारीख से गणना की सीमा का कोई सवाल नहीं हो सकता है।

66. आई. बी. सी. निगमों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।

व्यक्ति, साझेदारी फर्म और व्यक्ति एक समयबद्ध तरीके से देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए

सरकारी देय राशि का भुगतान और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और उससे जुड़े मामलों के लिए या

आनुषंगिक "।

67. आई. बी. सी. का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देना और निगमित व्यक्तियों के दिवालिया होने का समाधान करना है। उसके कथन के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 का उद्देश्य इन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है -

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवालिया समाधान।

सरकारी देय राशि और एक दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना, और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामले। दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास में सहायता करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। यह व्यवसाय करने की सुगमता में भी सुधार करेगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।

68. आई. बी. सी. की योजना के तहत, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होती है, जब कोई चूक होती है, इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है। आई. बी. सी. के कुछ प्रासंगिक प्रावधान, सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं:

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

(6) " दावा "का अर्थ है

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह निर्णय तक सीमित हो या नहीं, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित हो;

(ख) कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार, यदि इस तरह के उल्लंघन से भुगतान का अधिकार पैदा होता है, तो ऐसे अधिकार को कम किया जाता है या नहीं।

निर्णय के लिए, निश्चित, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित,

निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित; 8 एस. सी. आर.

(7) " निगमित व्यक्ति "से खंड में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के तहत, एक सीमित देयता भागीदारी, जैसा कि उप-अधिनियम के खंड (एन) में परिभाषित है।

सीमित देयता भागीदारी की धारा 2 की धारा (1)

अधिनियम, 2008 (2009 का 6), या उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सीमित दायित्व के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन इसमें कोई भी वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

(8) " निगमित देनदार "का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति पर ऋण है;

(10) " "लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक शामिल हैं। (11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं;

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो;

4. इस भाग का अनुप्रयोग। - (1) यह भाग निगमित देनदारियों की दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होगा जहां चूक की न्यूनतम राशि एक लाख है।

रुपयेः बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा,

उच्च मूल्य की चूक की न्यूनतम राशि निर्दिष्ट करें जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकताएँ

***

(7) " वित्तीय लेनदार "का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय ऋण देना है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है; एनके (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, यदि y, जो ऋण के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन का कोई मूल्य नहीं और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि; (ख) किसी के अधीन स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि

स्वीकृति ऋण सुविधा या इसका अवास्तविककरण

समतुल्य;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण जारी करने के अनुसार जुटाई गई कोई भी राशि।

स्टॉक या कोई समान उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया-खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो हो सकता है

निर्धारित;

(च) किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता भी शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है; (छ) में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेनदेन।

किसी भी दर या मूल्य और किसी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन का बाजार मूल्य

लेनदेन को ध्यान में रखा जाएगा;

(ज) गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व।

या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी कोई अन्य लिखत;

((i) किसी के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि

किसी भी वस्तु के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति

इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्टः

आर. एस. एन. जो निगमित दिवाला समाधान शुरू कर सकते हैं। जहाँ कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है, वहाँ एक ऋणदाता, एक परिचालन लेनदार या कॉर्पोरेट [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणी स्वयं निगमित दिवाला समाधान शुरू कर सकता है

इस तरह से ऐसे निगमित देनदार के संबंध में प्रक्रिया इस अध्याय के तहत प्रदान किया गया है।

7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार। — (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या 15 [अन्य वित्तीय लेनदारों, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से

वित्तीय लेनदार की ओर से, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, आरंभ करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

निगमित के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष ऋणी जब कोई चूक करता है

हुआ।

बशर्ते कि धारा 21 की उप-धारा (6-ए) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए, उनके विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन।

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित हैं, शुरू करने के लिए एक आवेदन निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत कम से कम सौ ऐसे आबंटियों द्वारा या दस प्रतिशत से कम संयुक्त रूप से दायर की जाएगी। एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आबंटियों की कुल संख्या में से जो भी कम होः

बशर्ते कि जहां आरंभ करने के लिए एक आवेदन

एक निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पहले और दूसरे प्रावधान में संदर्भित एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर की गई है और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, इस तरह के आवेदन को अनुपालन के लिए संशोधित किया जाएगा

उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर पहले या दूसरे परंतुक की आवश्यकताएं, जिसमें विफल रहने पर आवेदन को इसके लागू होने से पहले वापस लिया गया माना जाएगा।

प्रवेश।] ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक चूक में बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है

केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए लेकिन किसी अन्य के लिए

निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार।

(2) वित्तीय लेनदार के तहत एक आवेदन करेगा

उप-धारा (1) ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ जो विहित किया जाए।

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(क) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो हो सकता है

निर्दिष्ट किया गया;

(बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम; और (ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा।

उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदारः

बशर्ते कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और ऐसे समय के भीतर उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।]

(5) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

(ए) एक चूक हुई है और उप धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और कोई अनुशासनात्मक नहीं है

पेशेवर, यह, आदेश द्वारा, इस तरह के आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या (ख) चूक नहीं हुई है या उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।

आदेश द्वारा इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैंः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इससे पहले

उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करते हुए, आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस दें। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदन।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू करें।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन आदेश

वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार;

(ख) वित्तीय लेनदार को, यथास्थिति, ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर, उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत आदेश।

8. परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान। — (1) एक प्रचालन लेनदार, चूक की घटना पर, अवैतनिक प्रचालन देनदार की प्रति की मांग सूचना दे सकता है। निगमित देनदार को चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान का ऐसे रूप और तरीके से भुगतान करना जो निर्धारित किया जाए।

(2) निगमित देनदार मांग सूचना या चालान की प्रति प्राप्त होने के दस दिनों की अवधि के भीतर

उप-खंड में उल्लिखित

(1) परिचालन लेनदार के ध्यान में लाएं

(क) विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो, या रसीद से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड। ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान;

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान

(i) बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर

निगमित देनदार का; या

(ii) रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि परिचालन लेनदार ने उनके द्वारा जारी किए गए चेक को भुनाया है।

निगमित ऋणी।

ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांग सूचना" का अर्थ है एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को उस परिचालन ऋण के भुगतान की मांग करते हुए दी गई सूचना जिसके संबंध में चूक हुई है।

12. दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा। — (1) उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित के भीतर पूरा किया जाएगा -

ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि।

(2) समाधान पेशेवर एक आवेदन दायर करेगा

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिनों से आगे बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत के वोट से पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। (3) उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि विषय-वस्तु

मामला ऐसा है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, यह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिनों से आगे की अवधि तक बढ़ा सकता है जो वह उचित समझता है, लेकिन नब्बे दिनों से अधिक नहीं है:

बशर्ते कि इस धारा के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि का कोई विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिवाला से तीन सौ तीस दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

प्रारम्भ की तारीख, जिसमें इस धारा के तहत दी गई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि का कोई विस्तार और निगमित देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है:

बशर्ते कि जहां की दिवाला समाधान प्रक्रिया

एक निगमित देनदार लंबित है और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, जैसे समाधान प्रक्रिया नब्बे [2021] 8 एस. सी. आर. की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की शुरुआत की तारीख से दिन।

12 - ए. धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन की वापसी। — न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 7 या धारा 9 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है या

धारा 10, नब्बे प्रतिशत अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर। लेनदारों की समिति का मतदान हिस्सा, इस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए।

13. स्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा। (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, के प्रवेश के बाद

धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदन एक आदेश द्वारा किया जाएगा।

(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिस्थगन घोषित करें।

धारा 14;

(ख) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा करें और इसके लिए आह्वान करें

धारा 15 के तहत दावे प्रस्तुत करना; और

(ग) इस तरह से एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करें।

जैसा कि धारा 16 में निर्धारित किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के तुरंत बाद की जाएगी।

14. अधिस्थगन। - (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् -

(क) निगमित देनदार के खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना, जिसमें शामिल हैं -

किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन;

(बी) निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान;
(ग) निगमित देनदार द्वारा अपने ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के संबंध में बनाए गए किसी भी प्रतिभूति ब्याज को बंद करने, वसूल करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्रतिभूतिकरण के तहत किसी भी कार्रवाई सहित संपत्ति और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रवर्तन

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54);

(घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहाँ ऐसी संपत्ति पर कब्जा है या उसके कब्जे में है

निगमित ऋणी।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या इसके तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार। वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून को दिवालिया होने के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वर्तमान भुगतान में कोई चूक न हो।

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, समाप्त नहीं की जाएगी या स्थगन अवधि के दौरान निलंबित या बाधित।

(2 - ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, माल या सेवाओं की आपूर्ति को मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

निगमित देनदार और ऐसे कार्यों का प्रबंधन करना

निगमित देनदार एक चालू संस्था के रूप में, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अधिस्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां ऐसे निगमित देनदार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया का भुगतान नहीं किया है जो निर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

(क) ऐसे लेन-देन, समझौते या अन्य व्यवस्थाएँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक या किसी अन्य के साथ परामर्श

अन्य प्राधिकरण;] [2021] 8 एस. सी. आर.

(बी) एक निगम को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत

ऋणी।]

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगाः बशर्ते कि निगम के दौरान किसी भी समय

दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या निगम के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है।

धारा 33 के तहत ऋणी, अधिस्थगन का प्रभाव ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

15. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की सार्वजनिक घोषणा। — (1) धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की सार्वजनिक घोषणा में निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात्:

(क) निगमित ऋणी का नाम और पता

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया;

((ख) उस प्राधिकारी का नाम जिसके साथ निगमित ऋणी है।

निगमित या पंजीकृत है;

(ग) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो भी हो।

निर्दिष्ट किया गया;

(घ) अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण जो निगमित देनदार के प्रबंधन में निहित होगा।

और दावे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होना;

(ई) झूठे या भ्रामक दावों के लिए दंड; और

(च) वह तिथि जिस पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होगी, जो निगम के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सीवां दिन होगा।

यथास्थिति, धारा 7,9 या धारा 10 के अधीन आवेदन

हो सकता है।

(2) इस धारा के तहत सार्वजनिक घोषणा ऐसी तरीके से की जाएगी जो निर्दिष्ट की जाए।

ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

16. अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति और कार्यकाल। — (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दिवालियापन पर एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति करेगा।

प्रारंभ की तारीख।

(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन, जैसा भी मामला हो, किसी वित्तीय लेनदार या निगमित देनदार द्वारा किया जाता है, समाधान पेशेवर को, जैसा कि धारा 7 या धारा 10 के तहत आवेदन में क्रमशः प्रस्तावित किया गया है, अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (3) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन एक परिचालन लेनदार द्वारा किया जाता है और

(क) अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दिवालियापन की सिफारिश के लिए बोर्ड को एक संदर्भ देगा।

पेशेवर जो एक अंतरिम समाधान के रूप में कार्य कर सकते हैं पेशेवर;

(बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए एक प्रस्ताव धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत किया जाता है, संकल्प

यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रस्तावित पेशेवर को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

उसके खिलाफ लंबित है।

(4) बोर्ड, एक संदर्भ की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर

उप-धारा (3) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से, एक दिवालिया पेशेवर के नाम की सिफारिश करें

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (5) अंतरिम समाधान पेशेवर का कार्यकाल धारा 22 के तहत समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख तक जारी रहेगा।

17. निगमित देनदार के मामलों का अंतरिम प्रबंधन

समाधान पेशेवर। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से,

(क) निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन

अंतरिम समाधान पेशेवर में निहित होगा; [2021] 8 एस. सी. आर

(ख) निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम प्रस्ताव द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा।

पेशेवर;

(ग) निगमित देनदार के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेंगे और निगमित के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करेंगे। अंतरिम समाधान द्वारा आवश्यक देनदार

पेशेवर;

(घ) निगमित देनदार के खातों का रखरखाव करने वाले वित्तीय संस्थान ऐसे खातों के संबंध में अंतरिम समाधान पेशेवर के निर्देशों पर कार्य करेंगे और उनके पास उपलब्ध निगमित देनदार से संबंधित सभी जानकारी अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रदान करेंगे।

अर्थात् (क) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करना ताकि ऋण का निर्धारण किया जा सके।

निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति, जिसमें संबंधित जानकारी भी शामिल है

दो साल; ((ग) प्रारंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची;

और

((घ) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) निम्नलिखित सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें।

धारा 13 और 15;

लेनदारों की एक समिति का गठन करना;

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन करना।

जब तक एक समाधान पेशेवर नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक इसका संचालन

लेनदारों की समिति द्वारा; बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ई) सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फ़ाइल जानकारी, यदि

आवश्यक; और

(च) किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना जिस पर निगमित देनदार का स्वामित्व अधिकार है जैसा कि लेख में दर्ज है। निगमित देनदार की बैलेंस शीट, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी या किसी अन्य रजिस्ट्री के साथ जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती है, जिसमें शामिल हैं -

(i) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं जो किसी विदेश में स्थित हो सकते हैं; ((ख) ऐसी परिसंपत्तियाँ जो निगमित देनदार के कब्जे में हों या न हों;

((iv) बौद्धिक संपदा सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ; (v) किसी भी सहायक कंपनी में रखे गए शेयरों सहित प्रतिभूतियाँ

बीमा पॉलिसियाँ; (vi) स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ

एक अदालत या प्राधिकरण;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं

बोर्ड।

एक्सप्लेनेशन। — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद

परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:

(क) किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली संपत्ति

न्यास के तहत या संविदात्मक के तहत रखे गए निगमित देनदार

जमानत सहित व्यवस्थाएँ; ((ख) किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

निगमित देनदार; और

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से

नियामक।

) . निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन, जैसा कि चल रहा है। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर [2021] 8 एस. सी. आर. के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए बहुत प्रयास करेगा।

निगमित देनदार की संपत्ति और निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन एक चालू चिंता के रूप में करें।

21. ऋणदाताओं की समिति। - (1) अंतरिम समाधान पेशेवर निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद करेगा।

निगमित देनदार की स्थिति, एक समिति का गठन करती है

लेनदार।

(2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगेः बशर्ते कि कोई वित्तीय लेनदार या अधिकृत

धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6-ए) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार का प्रतिनिधि, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो

ऋणदाताओं की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार हैः

बशर्ते कि पहला परंतुक वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह केवल इक्विटी शेयरों में ऋण के रूपांतरण या प्रतिस्थापन के कारण निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है या

इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरण या पूरा करना दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से पहले ऐसे लेन-देन जो निर्धारित किए जाएं।

22. समाधान पेशेवर की नियुक्ति। — (1) ऋणदाताओं की समिति की पहली बैठक ऋणदाताओं की समिति के गठन के सात दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी।

(2) लेनदारों की समिति, पहली बैठक में, एक

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम छियासठ प्रतिशत का बहुमत, या तो अंतरिम समाधान पेशेवर को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने या अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी अन्य समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिस्थापित करने का संकल्प करता है। (3) जहां लेनदारों की समिति उप-धारा (2) के तहत निर्णय लेती है -

से एक लिखित सहमति के अधीन समाधान पेशेवर निर्दिष्ट रूप में अंतरिम समाधान पेशेवर], ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

यह अपने निर्णय को अंतरिम समाधान पेशेवर, निगमित देनदार और न्यायनिर्णायक को सूचित करेगा।

प्राधिकरण; या

(ख) अंतरिम समाधान पेशेवर को बदलने के लिए, यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर करेगा।

प्रस्तावित प्रस्ताव की नियुक्ति

प्रस्तावित से एक लिखित सहमति के साथ पेशेवर

निर्दिष्ट रूप में समाधान पेशेवर।

(5) जहां बोर्ड प्रस्ताव प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर प्रस्तावित समाधान पेशेवर के नाम की पुष्टि नहीं करता है। प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, अंतरिम निर्देश देगा।

समाधान पेशेवर समाधान पेशेवर के रूप में तब तक कार्य करना जारी रखेंगे जब तक कि बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं कर देता

प्रस्तावित समाधान पेशेवर की नियुक्ति।

23. निगमित दिवालियापन का संचालन करने के लिए समाधान पेशेवर

समाधान प्रक्रिया। — (1) धारा 27 के अधीन, समाधान पेशेवर संपूर्ण निगमित दिवालियापन का संचालन करेगा। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया और संचालन का प्रबंधनः

बशर्ते कि समाधान पेशेवर जारी रहेगा अवधि समाप्त होने के बाद निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन करना

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की, जब तक धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने या धारा 34 के तहत परिसमापक नियुक्त करने का आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया जाता है। (2) समाधान पेशेवर इस अध्याय के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर को निहित या प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(3) धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत किसी समाधान पेशेवर की किसी भी नियुक्ति के मामले में, अंतरिम संकल्प [2021] 8 एस. सी. आर.

पेशेवर सभी जानकारी, दस्तावेज प्रदान करेंगे और

निगमित ऋणी से संबंधित अभिलेख उसके कब्जे में हैं और समाधान पेशेवर को जानकारी है।

25. समाधान पेशेवर के कर्तव्य। — (1) समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य होगा कि वह निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करे, जिसमें निगमित देनदार का निरंतर व्यावसायिक संचालन भी शामिल है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात् -

(क) निगमित देनदार के व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना;

(ख) निगमित देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करना और कार्य करना।

तीसरे पक्षों के साथ, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता में निगमित देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें।

कार्यवाही;

(ग) धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन अंतरिम वित्त जुटाना;

25 - ए. वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार और कर्तव्य। — (1) धारा 21 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6-ए) या धारा 24 की उप-धारा (5) के तहत अधिकृत प्रतिनिधि को भाग लेने का अधिकार होगा।

और भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त ऐसे लेनदारों के पूर्व मतदान निर्देशों के अनुसार वित्तीय लेनदार की ओर से लेनदारों की समिति की बैठकों में मतदान करें।

(2) यह अधिकृत प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह ऋणदाताओं की समिति की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त को उस वित्तीय ऋणदाता को प्रसारित करे जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। (3) अधिकृत प्रतिनिधि उस वित्तीय लेनदार के हित के खिलाफ कार्य नहीं करेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा उनके पूर्व निर्देशों के अनुसार कार्य करेगाः

बशर्ते कि यदि अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करता है

कई वित्तीय लेनदार, फिर वह ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v के अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेनदार के संबंध में अपना वोट डालेगा।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्रत्येक वित्तीय लेनदार से उसके मतदान हिस्से की सीमा तक प्राप्त निर्देशः

बशर्ते कि यदि कोई वित्तीय लेनदार भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूर्व निर्देश नहीं देता है, तो अधिकृत प्रतिनिधि ऐसे लेनदार की ओर से मतदान करने से दूर रहेगा।

धारा 21 की धारा (6-ए) उन सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से अपना वोट डालेगी जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। पचास प्रतिशत से अधिक मतों से लिया गया निर्णय। वे जिन वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है, उनके मतदान हिस्से के बारे में:

बशर्ते कि किसी आवेदन के संबंध में वोट डालने के लिए धारा 12-ए के तहत, अधिकृत प्रतिनिधि उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार अपना वोट डालेगा।

(4) अधिकृत प्रतिनिधि ऋणदाताओं की समिति के साथ भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त किसी भी निर्देश को दाखिल करेगा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके अनुसार मतदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि -

वित्तीय लेनदार के उचित मतदान निर्देश

प्रतिनिधित्व अंतरिम संकल्प द्वारा सही ढंग से दर्ज किया गया है

जैसा भी मामला हो, पेशेवर या समाधान पेशेवर।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक साधन" ऐसे होंगे जो निर्दिष्ट किए जाएं।]

27. ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान पेशेवर का प्रतिस्थापन। — (1) कंपनी के दौरान कहाँ, किसी भी समय

दिवाला समाधान प्रक्रिया, लेनदारों की समिति की राय है कि एक समाधान पेशेवर के तहत नियुक्त किया जाता है

धारा 22 को बदलने की आवश्यकता है, यह नीचे दिए गए तरीके से उसे किसी अन्य समाधान पेशेवर के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है। इस खंड में।

(2) लेनदारों की समिति, एक बैठक में, साठ-छह प्रतिशत के मत से कर सकती है। मतदान शेयरों के लिए, धारा 22 के तहत नियुक्त संकल्प पेशेवर को [2021] 8 एस. सी. आर. से बदलने का संकल्प लें।

एक अन्य समाधान पेशेवर, निर्दिष्ट रूप में प्रस्तावित समाधान पेशेवर से लिखित सहमति के अधीन।

(3) लेनदारों की समिति उनके द्वारा प्रस्तावित दिवाला पेशेवर का नाम न्यायनिर्णायक को भेजेगी। प्राधिकरण।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम बोर्ड को इसके लिए भेजेगा।

पुष्टिकरण और समाधान पेशेवर को उसी तरीके से नियुक्त किया जाएगा जैसा कि धारा 16 में निर्धारित किया गया है।

(5) जहां उप-धारा (3) के तहत प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, वहां धारा 22 के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर दूसरे प्रस्ताव की नियुक्ति तक जारी रहेगा।

इस खंड के तहत पेशेवर।

30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। - (1) एक समाधान आवेदक एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कहा गया है कि

कि वह सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर के लिए धारा 29-ए के तहत पात्र है।

(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) बोर्ड द्वारा प्राथमिकता में निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है।

((ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होगी, यदि वह राशि समाधान योजना के तहत वितरित की जानी है। के आदेश के अनुसार वितरित किया गया था

धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता,

जो भी अधिक हो, और ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है

वित्तीय लेनदारों के लिए, जो बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

समाधान योजना, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो निगम के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। ऋणी।

स्पष्टीकरण 1. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्द्वारा है

स्पष्ट किया कि के अनुसार एक वितरण

इस खंड के प्रावधान ऐसे लोगों के लिए उचित और न्यायसंगत होंगे

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से इस खंड के प्रावधान किसी निगम की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे। कर्जदार

(i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है; ((ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील की गई है या ऐसी अपील पर उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत समय की पाबंदी नहीं है; या

((ग) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

एक समाधान योजना के संबंध में;]

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

((घ) संकल्प का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण

योजनाएँ;

(ई) कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

वर्तमान में लागू होने के लिए;

(च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

बोर्ड द्वारा।

योजना बनाना। खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के तहत कार्यों के ई-कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी अनुमोदन शेयरधारक की आवश्यकता है) या किसी अन्य कानून की आवश्यकता है, जैसे [2021] 8 एस. सी. आर.

यह माना जाएगा कि अनुमोदन दिया गया है और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

(3) समाधान पेशेवर प्रस्तुत करेगा

ऋणदाताओं की समिति अपने अनुमोदन के लिए ऐसी समाधान योजनाएं जो उप में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं

खंड (2)।

(4) ऋणदाताओं की समिति समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के मत द्वारा और

व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो प्राथमिकता सहित धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। और किसी सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित का मूल्य और ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएं:

बशर्ते कि लेनदारों की समिति एक को मंजूरी नहीं देगी

समाधान योजना, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत की गई, जहां समाधान आवेदक धारा 29-ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है: बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29-ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को धारा 29-ए द्वारा अनुमति दी जाएगी।

धारा 29-क के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने के लिए ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक न हो, लेनदारों की समिति:

बशर्ते कि दूसरे परंतुक की किसी भी बात का अर्थ इन उद्देश्यों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं लगाया जाएगा -

धारा 12 की उप-धारा (3) का परंतुक और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।]

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वारा संशोधित धारा 29-ए में पात्रता मानदंड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश। 2018 का 6) उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने समाधान ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v प्रस्तुत नहीं किया है।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख के अनुसार योजना।

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता हैः

बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो। (6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

31. समाधान योजना की स्वीकृति। — (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा उस समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होगी, जिसमें केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, जिसके लिए किसी भी कानून के तहत बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण है।

समय पर लागू होना, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिनके लिए वैधानिक

बकाया देय है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकः

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उपखंड के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि समाधान योजना निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है उप-धारा (1) में, वह एक आदेश द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

योजना बनाएँ।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, -

(क) धारा 14 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला [2021] 8 एस. सी. आर. के संचालन से संबंधित सभी अभिलेखों को अग्रेषित करेगा।

समाधान प्रक्रिया और बोर्ड को समाधान योजना

अपने डेटाबेस में दर्ज करें।

(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, उप-धारा के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

धारा (1) या ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसी कानून में प्रावधान किया गया है, जो भी बाद में होः

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में कोई प्रावधान हो

संयोजन के लिए, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में संदर्भित है, समाधान आवेदक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी प्राप्त करेगा।

वह अधिनियम लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले।] 33. परिसमापन की शुरुआत। —- (1) जहाँ न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण,

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति या धारा के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि से पहले।

12 या धारा 56 के तहत फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं करती है; या
(ख) धारा 31 के तहत समाधान योजना को उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए अस्वीकार कर देता है,

यह होगा

(i) एक आदेश पारित करना जिसमें निगमित देनदार को इस अध्याय में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता हो;

((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया है कि निगम

ऋणी परिसमापन में है; और ((ग) ऐसा आदेश प्राधिकरण को भेजे जाने की अपेक्षा करता है जिसके साथ

निगमित देनदार पंजीकृत है।

(2) जहां समाधान पेशेवर, किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेकिन उससे पहले समाधान योजना की पुष्टि, न्यायनिर्णायक बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v को सूचित करता है।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

समिति के निर्णय का अधिकार

निगमित देनदार को परिसमाप्त करने के लिए कम से कम मतदान हिस्सेदारी के साठ-छह प्रतिशत द्वारा अनुमोदित लेनदार,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण परिसमापन आदेश पारित करेगा

खंड (ख) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट

उप-धारा (1)।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि लेनदारों की समिति निगमित देनदार को उसके गठन के बाद किसी भी समय समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।

धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत और उससे पहले किसी भी समय सहित समाधान योजना की पुष्टि

सूचना ज्ञापन तैयार करने से पहले।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित निगमित देनदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित देनदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके हित हैं

इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं, कर सकते हैं

परिसमापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन

उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आदेश। (4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निर्धारित करता है कि निगमित देनदार

समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो यह उपखंड (i), (ii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा।

और (iii) उप-धारा (1) के खंड (ख) का।

(5) धारा 52 के अधीन, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्धः बशर्ते कि परिसमापक द्वारा निगमित देनदार की ओर से एक मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन। "

69. आई. बी. सी. की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक इस अर्थ में होती है कि कोई ऋण देय हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम

,

वेंसी समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। जहां कोई निगमित देनदार चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या

दर देनदार स्वयं निगमित दिवाला समाधान शुरू कर सकता है

एस. एस. एस. ऐसे निगमित देनदार के संबंध में प्रदान किए गए तरीके से

आई. बी. सी. का एप्टर II।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. आई. बी. सी. के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार की व्यावसायिक और/या वाणिज्यिक गतिविधियाँ

एक समाधान पेशेवर द्वारा जारी, एक अधिस्थगन लागू होने के बाद, जो कॉर्पोरेट देनदार को दंडात्मक मुकदमेबाजी से कुछ राहत देगा, जो कॉर्पोरेट देनदार को उसके वित्तीय संसाधनों से वंचित कर सकता है। यह कॉर्पोरेट देनदार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और साथ ही अपने लेनदारों के बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए है।

71. आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत, वैधानिक 2016 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है,

अन्य बातों के साथ-साथ, आई. बी. सी. की धारा 7,8,9 और 10 के साथ पठित धारा 239 की उप-धारा (1) के खंड (सी) (डी) (ई) और (एफ) द्वारा, एक वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड शामिल हैं, और जैसा कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड में निर्दिष्ट है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 1 में आवेदन करना आवश्यक है।

समाधान पेशेवर। भाग IV और V जिनके लिए विवरण की आवश्यकता होती है - दस्तावेजों, अभिलेखों और चूक के साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण नीचे निकाला गया हैः

भाग IV

वित्तीय ऋण के सहभागी

1 ऋण की कुल राशि प्रदान की गई

अस्वीकृति की तिथि (एस)

2

ए. एम. ओ. एन. टी. पर असफल होने का दावा किया गया और चूक की तारीख

OCCURRED (काम के लिए हमला करें)

आय-व्यय और दिवसों का संग्रह टैबलर फॉर्म में गलती)

भाग V

वित्तीय ऋण के सहभागी [दस्तावेज, अभिलेख और प्रमाण]

ऑफ डेफाल्ट]

1 सुरक्षा के भागीदार, यदि कोई हो, तो इसके निर्माण की तारीख,

यह क्रेडिट के अनुसार अनुमानित मूल्य है।

कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी शुल्क के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि निगम ऋणदाता एक कंपनी है)

2

न्यायालय, ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रल के किसी आदेश के प्रतिभागी

चूक पर पैनल न्यायनिर्णयन, यदि कोई हो (आदेश की एक प्रति संलग्न करें)

सूचना उपयोगिता के साथ चूक का रिकॉर्ड, यदि कोई हो

3

(इस तरह के रिकॉर्ड की एक प्रति बनाएँ) सफलता प्रमाण पत्र, या किसी इच्छा की संभावना का विवरण, या

4

प्रशासन का पत्र, या न्यायालय का फैसला (जैसा भी हो) लागू), भारतीय सफलता अधिनियम, 1925 (1925 का 10) के तहत (एक प्रति पर हमला)

5

वित्तीय अनुबंध की नवीनतम और पूर्ण प्रति सभी सुधारों और तारीखों को प्रतिबिंबित करना

(एक प्रति पर हमला करें)

किसी भी क्रेडिट के साथ उपलब्ध नुकसान का रिकॉर्ड

6

सूचना कंपनी

(एक प्रति पर हमला करें)

बैंकरों की पुस्तक में प्रविष्टियों की प्रतियां

7

बैंकर पुस्तक प्रमाण अधिनियम, 1891 (1891 का 18)

(एक प्रति पर हमला करें)

8

इस आवेदन में संलग्न अन्य दस्तावेजों की सूची

वित्तीय, ऋण, राशि के अस्तित्व को साबित करने का आदेश

चूक की तारीख और तारीख

73. चूँकि एक वित्तीय लेनदार को धारा 7 के तहत आवेदन करना आवश्यक है।

आई. बी. सी. के अनुसार, वैधानिक प्रपत्र 1 में, वित्तीय लेनदार केवल प्रपत्र के विभिन्न स्तंभों में निर्दिष्ट विवरण भर सकता है। वहाँ कोई नहीं है विस्तृत दलीलों के लिए गुंजाइश। इसलिए, निर्धारित प्रपत्र में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को दिए गए आवेदन की तुलना मुकदमे में शिकायत से नहीं की जा सकती है। इस तरह के आवेदन का निर्णय उसी मानकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि किसी मुकदमे में वाद, या किसी न्यायालय में किसी अन्य अभिवचन द्वारा किया जाता है।

74. धारा 7 (3) एक वित्तीय लेनदार से आवेदन करने की अपेक्षा करती है।

धारा 7 (1) के तहत सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या चूक के साक्ष्य के साथ दर्ज किए गए चूक के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जो निर्दिष्ट किया जा सकता है; एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम और कोई अन्य जानकारी जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

75. आई. बी. सी. की धारा 7 (4) न्यायनिर्णायक पर एक दायित्व डालती है।

एक [2021] 8 एस. सी. आर. के अभिलेखों से चूक के अस्तित्व का पता लगाने के लिए प्राधिकरण।

सूचना उपयोगिता या आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर

धारा 7 के तहत। 2019 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन द्वारा अंतःस्थापित आई. बी. सी. की धारा 7 (4) के प्रावधान के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। समय-सारणी का पालन न करने पर आवेदन समाप्त नहीं होता है। न ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को खारिज करने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

76. धारा 7 (5) (ए) में प्रावधान है कि जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि एक चूक हुई है, और उप के तहत आवेदन धारा 7 की धारा (2) पूरी हो चुकी है और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ लंबित, यह आदेश द्वारा इस तरह के आवेदन को स्वीकार कर सकता है। धारा 7 (5) (बी) के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि चूक नहीं हुई है या धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या कोई अनुशासनात्मक है। प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कार्यवाही लंबित है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 5 की उप-धारा (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, आवेदक को उसके आवेदन में दोषों को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

77. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू

आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख को। धारा 7 (7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर एक दायित्व डालती है।

धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को एक आदेश संप्रेषित करना और धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत एक आदेश वित्तीय लेनदार को ऐसे आवेदन के प्रवेश या अस्वीकृति के सात दिनों के भीतर संप्रेषित करना, जैसा भी मामला हो। आई. बी. सी. की धारा 8 और 9 एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान से संबंधित हैं और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित नहीं हैं। धारा 10 दीक्षा से संबंधित है - निगमित ऋणदाता द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी आकर्षित नहीं होती है।

78. आई. बी. सी. की धारा 12 (1) में निगमित दिवाला की आवश्यकता है।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाने वाली प्रक्रिया।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन का प्रवेश। 180 की अवधि

दिन एक से अधिक बार नहीं बढ़ाया जा सकता है। 79. आई. बी. सी. केवल ऋणों की वसूली के लिए एक और क़ानून नहीं है। न ही यह एक कानून है जो केवल परिसमापन के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है

निगमित निकाय, जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। यह अनिवार्य रूप से एक कानून है जो एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय के पुनरुद्धार की दिशा में काम करता है।

80. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक 'मामले में, इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए नवंबर, 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट के अंश निकाले, जिनमें से कुछ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" ..... जब कोई फर्म (मसौदा कानून में कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) चूक करती है, तो सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। कई संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है। एक संभावना है कि फर्म को परिसमापन में ले जाया जाए। एक अन्य संभावना ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत करना है, जहां लेनदार एन. पी. वी. के आधार पर ऋण में कमी को स्वीकार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि

बातचीत मूल्य परिसमापन मूल्य से अधिक हो जाता है। एक अन्य

संभावना है कि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाए और आय का उपयोग लेनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाए। इनकी कई संकर संरचनाएँ हैं।

व्यापक श्रेणियों की कल्पना की जा सकती है।

***

गति महत्वपूर्ण है।

दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जबकि "शांत अवधि" एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ कम होता जाता है क्योंकि कई परिसंपत्तियाँ मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित होती हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है।

इसलिए, जब विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, तो मूल्य होता है

9. (2018) 1 एससीसी 407 [2021] 8 एस. सी. आर.

विनाश। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, उच्च स्वास्थ्य लाभ दर प्राप्त करना मुख्य रूप से देरी के स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है।

***

कम्पनी पर नियंत्रण दैवीय अधिकार नहीं है। जब कोई फर्म अपने ऋण पर चूक करती है, तो कंपनी का नियंत्रण इस पर स्थानांतरित होना चाहिए

ऋणदाताओं। इसे प्राप्त करने के लिए त्वरित और निर्णायक तंत्र के अभाव में, प्रबंधन टीमों और शेयरधारकों को बनाए रखना चाहिए।

डिफ़ॉल्ट के बाद नियंत्रण। दिवालियापन कानून को इससे निपटना चाहिए।

उद्देश्य।

81. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक (ऊपर) में यह

टी ने दिवालियापन कानून सुधारों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को नोट किया

आई. बी. सी. की सिफारिश करने में कमी,

" समिति ने निम्नलिखित से वांछित उद्देश्य निर्धारित किएः

दिवाला को हल करने के लिए एक नई संहिता लागू करना और

दिवालियापनः

(1) समाधान के लिए कम समय।

(2) वसूली में कम नुकसान।

(3) विभिन्न प्रकार के ऋण उपकरणों में ऋण वित्तपोषण का उच्च स्तर।

.....

समिति ने निम्नलिखित सिद्धांतों को चुना नया दिवाला और दिवालियापन समाधान ढांचाः

I. संहिता व्यवहार्यता के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी

बहुत शुरुआती चरण में उद्यम।

(1) कानून को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि

उद्यम व्यवसाय का विषय है और व्यवसाय के मामलों पर केवल लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत की जा सकती है। जबकि व्यवहार्यता का आकलन लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत के रूप में किया जाता है, अंतिम निर्णय दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए।

लेनदार जो वित्तदाता हैं जो नुकसान को सहन करने के लिए तैयार हैं

दिवालियापन।

ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(2) विधायिका और न्यायालयों को प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए

समाधान करें, लेकिन व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए बोझ न बनें।

(3) कानून को दिवाला समाधान के लिए एक शांत अवधि निर्धारित करनी चाहिए जहां देनदार लेनदारों द्वारा ऋण वसूली प्रवर्तन के डर के बिना व्यवहार्यता के मूल्यांकन में बातचीत कर सकता है। (4) कानून को समाधान अवधि के प्रबंधक के रूप में एक समाधान पेशेवर को नियुक्त करना चाहिए, ताकि लेनदार कर सकें

व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए इस विश्वास के साथ बातचीत करें कि देनदार उद्यम के मूल्य को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पेशेवर के पास शक्ति होगी और

उद्यम के संचालन और परिसंपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी। पेशेवर लेनदारों और देनदारों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने और सभी लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बातचीत की समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा। पेशेवर यह सुनिश्चित करेंगे कि

समाधान प्रक्रिया में लेनदारों और देनदार के बीच जानकारी की विषमता।

II. यह संहिता लेनदारों और देनदारों के बीच सूचना की समरूपता को सक्षम बनाएगी। (5) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी जो दिवालियापन और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक है

इसे बनाया गया और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराया गया।

(6) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जानकारी तक पहुंच उद्यम के सभी लेनदारों को या तो सीधे या विनियमित पेशेवर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।

(7) कानून को इस जानकारी तक तीसरे पक्ष तक पहुंच को सक्षम बनाना चाहिए जो विनियमित पेशेवर के माध्यम से समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

III. संहिता एक समयबद्ध प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुनिश्चित करेगी।

आर्थिक मूल्य को बनाए रखें।

(8) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन का समय मूल्य संरक्षित है, और इन वार्ताओं में देरी करने की रणनीति से बातचीत के लिए निर्धारित समय की शुरुआत नहीं होगी। IV. संहिता एक सामूहिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

(9) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भाग लेंगे। कानून को [2021] 8 एस. सी. आर. सुनिश्चित करना चाहिए।

कि सभी लेनदार जिनके पास अपनी देनदारियों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छा है, उन्हें बातचीत प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। उन सभी लेनदारों की देनदारियाँ जो इसका हिस्सा नहीं हैं

बातचीत की प्रक्रिया को किसी भी बातचीत में पूरा किया जाना चाहिए। समाधान।

5. संहिता सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान करेगी। (10) कानून को अंतिम समाधान पर वोट में अपने वजन को गिनने में लेनदार के प्रकार के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए।

दिवालियापन का समाधान करना।

VI. संहिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब बातचीत व्यवहार्यता स्थापित करने में विफल रहती है, तो दिवालियापन का परिणाम बाध्यकारी होना चाहिए।

(11) कानून को ऐसे उद्यम के परिसमापन का आदेश देना चाहिए जो अव्यवहारिक पाया गया हो। वार्ता के इस परिणाम को बहुत कुछ के अलावा अन्य सभी अपीलों से संरक्षित किया जाना चाहिए।

असाधारण मामले।

VII. संहिता को प्राथमिकता की स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए, और दिवालियापन को हल करने में सभी हितधारकों के अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। (12) कानून को सभी हितधारकों को दिवालियापन में वितरण की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए

सभी हितधारकों को आत्मविश्वास के साथ उद्यमों के निर्माण के चक्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(13) जबकि कानून को दिवालियापन को हल करने में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसकी अनुमति देने के लिए अधिक लचीलापन होना चाहिए।

समाधान और पुनर्प्राप्ति में व्यक्तिगत कार्रवाई

दिवालियापन के चरण की तुलना में दिवालियापन संकल्प "।

82. जैसा कि इस न्यायालय ने पी. अनराज और अन्य में नरीमन, जे. के माध्यम से कहा। वी. शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 0:

" 10. धारा 14 (1) पर एक सरसरी नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि उप-धारा (2) और (3) में निहित अपवादों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा खंड (ए) से (डी) में निम्नलिखित को प्रतिबंधित करने के लिए अनिवार्य रूप से स्थगन की घोषणा करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, उप के तहत

021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 152 ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

अनिश्चित काल के लिए, लेकिन केवल आदेश की तारीख से प्रभावी है निगम के पूरा होने तक अधिस्थगन की घोषणा

दिवाला समाधान प्रक्रिया जो समयबद्ध हो, या तो

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में समापन

समाधान योजना को मंजूरी देना या परिसमापन में।

11. धारा 14 (1) के दो अपवाद धारा 14 की उप-धाराओं (2) और (3) में निहित हैं। उप-धारा (2) के तहत,

निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति

इस अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित भी नहीं किया जा सकता है, अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार होगा अपने घुटनों पर ले आया और इस अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं होगा।

83. स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ ओआरएस "। , नरीमन, जे. द्वारा लिखित इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि का प्राथमिक ध्यान

कानून पुनरुत्थान और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है निगमित देनदार को इससे बचाकर

स्वयं का प्रबंधन और परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से।

इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कहता है कि

निगमित देनदार अपने पैरों पर खड़ा है, लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं है। अतः निगमित देनदार के हितों को विभाजित कर दिया गया है और उनसे अलग कर दिया गया है - इसके प्रवर्तक/जो प्रबंधन में हैं। इस प्रकार,

समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है।

लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करना। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है।

समाधान प्रक्रिया। समय सीमा जिसके भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और समाधान प्रक्रिया को देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है।

जितनी जल्दी हो सके गुजरता है ताकि एक और प्रबंधन

अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से, पुनर्जीवित कर सकते हैं निगमित ऋणी इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए "।

) 4 एससीसी 17 [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. आई. बी. सी. का प्रभाव अन्य कानूनों पर हावी है। आई. बी. सी. की धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. के प्रावधान प्रभावी होंगे,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, जो ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी हो।

85. जबरदस्ती वसूली मुकदमे के विपरीत, कॉर्पोरेट दिवालियापन

आई. बी. सी. के तहत समाधान प्रक्रिया निगमित ऋणदाता के हितों के प्रतिकूल नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड v. भारत संघ (ऊपर)।

86. दूसरी ओर, आई. बी. सी. समानता के लिए एक लाभकारी कानून है।

निगमित ऋणदाता के सभी ऋणदाताओं के साथ व्यवहार, साथ ही इसके कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा, निगमित ऋणदाता को उसके प्रबंधन में उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से पुनर्जीवित करके, जो निगमित ऋणदाता के बकाया का भुगतान करने में विफल रहे। यह केवल निगमित ऋणदाता के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग करता है।

87. निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ दंडात्मक मुकदमे के उपाय के लिए ऋणदाताओं को बर्खास्त करना उनके हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

निगमित देनदार और उसके लेनदार समान रूप से। जबकि विभिन्न मंचों पर एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कई दंडात्मक कार्यवाही इसकी वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है, इसके नकद भंडार को कम कर सकती है, इसके साथ-साथ इसकी लागत को कम कर सकती है। परिसंपत्तियाँ, चल और अचल और इसकी वाणिज्यिक मृत्यु को तेज करती हैं, ऐसी कार्यवाहियाँ लेनदारों के लिए भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मुकदमों में लगने वाले समय की अवधि, मुकदमे के खर्च और मुकदमे में अंतिम सफलता के बाद भी दावों की प्राप्ति की अनिश्चितताएँ होती हैं।

88. इसलिए यह अनिवार्य है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाए। कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से, और एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण व्याख्या नहीं दी जाएगी जो अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देती है।

89. किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने और/या व्याख्या करने में

कानून के विधायी इरादे पर गौर करना चाहिए। कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। सन्देह के मामले में इसके उद्देश्य और उद्देश्य को देखना हमेशा सुरक्षित रहता है। कानून या इसके पीछे का कारण और भावना। प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में ही लगाया जाना चाहिए, देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

जैसा कि जे. मुखर्जी ने पोपटलाल शाह बनाम में देखा है। मद्रास राज्य 1 2 और इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय। जे. कृष्ण अय्यर को उद्धृत करने के लिए, व्याख्यात्मक प्रयास "लक्ष्य द्वारा प्रकाशित होना चाहिए, हालांकि शब्दों द्वारा निर्देशित"।

90. जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा। कानून की पिछली स्थिति, सामान्य दायरा और

कानून की परिधि और उस शरारत को दूर करने का इरादा प्रासंगिक कारक हैं।

91. आई. बी. सी. के प्रावधानों और विशेष रूप से 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 7 (2) से (5) के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर आई. बी. सी. दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है। आवेदन को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम आदेश पारित होने तक किसी भी समय दस्तावेज।

92. धारा 7 (4) में डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाने के लिए चौदह दिनों का समय निर्धारित करना स्पष्ट रूप से निर्देशिका अनिवार्य नहीं है।

28 दिसंबर, 2019 से प्रभावी संशोधन द्वारा जोड़े गए परंतुक में प्रावधान है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक का पता नहीं लगाया है और उपरोक्त समय के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। कोई अन्य दंड निर्धारित नहीं है।

93. इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (बी) का प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदक को नोटिस देने, सुधार करने के लिए बाध्य करता है। आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत अपने आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष। जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदक को कुछ दोषों को ठीक करने के लिए कहता है

सात दिनों के भीतर ठीक किया जाना। नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन में दोषों को ठीक करने में असमर्थता के लिए कोई जुर्माना निर्धारित नहीं है, और एक उपयुक्त मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण न्याय के उद्देश्यों के लिए सात दिनों की समाप्ति के बाद भी ठीक किए गए आवेदन को स्वीकार कर सकता है। 94. आई. बी. सी. की धारा 12 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है। यह समय सीमा निगम शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है।

12. AIR 1953 SC 274 [2021] 8 S. C. R.

दिवाला समाधान प्रक्रिया। इसलिए, धारा 12 इस मामले में आकर्षित नहीं है।

95. किसी भी मामले में, इस न्यायालय द्वारा आर्सेलरमित्तल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में धारा 12 पर विचार किया गया है। लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता और Anr.13

इस न्यायालय ने कहाः

" 86. इस तथ्य को देखते हुए कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों को संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना है, हम इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं कि अब दोनों उपरोक्त न्यायाधिकरणों द्वारा बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी को संभाला जाना है। ऐसे मामले में क्या होता है जहां एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय लेता है संहिता की धारा 31 से उत्पन्न होने वाला मामला 180 दिनों की समय सीमा या 270 दिनों की विस्तारित समय सीमा से परे है? एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट-अदालत का कार्य नुकसान पहुँचाएगा।

एक सिद्धांत है जो हमारे न्यायशास्त्र में दृढ़ता से निहित है

कोई आदमी नहीं

(जंग सिंह बनाम देखें। बृज लाल [जंग सिंह बनाम। बृज लाल, (1964) 2 एससीआर 145: ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1631], पी. 149 और ए. आर.

अंतुले वी। आर. एस. नायक [ए. आर. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक (1988) 2 एस. सी. सी. 602: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 372: 1988 पूरक (1) एस. सी. आर. 1], पी. पर एस. सी. आर.। 71) . यह भी सच है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए समय को उस समय-सीमा पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिसके भीतर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया होनी चाहिए।

हेलीकॉप्टर का गिरना कॉर्पोरेट मौत है। एकमात्र तर्कसंगत संहिता का निर्माण संतुलन है जिसे बनाए रखा जाना है

निगमित दिवालियापन के समय पर पूरा होने के बीच

समाधान प्रक्रिया, और अन्यथा निगमित देनदार को परिसमापन में डाला जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निगमित देनदार में कई कर्मचारी और कर्मचारी होते हैं जिनकी दैनिक रोजी-रोटी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करती है। यदि कोई समाधान आवेदक है जो कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू संस्था के रूप में चलाना जारी रख सकता है, तो यह देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि यह किया गया है। संभव है। [भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 में कहा गया है कि परिसमापक निगमित देनदार को ऋण के रूप में भी बेच सकता है।

चिंता हो रही है।] अतः इस कानून का एक उचित और संतुलित निर्माण इस परिणाम की ओर ले जाएगा कि, जहां

13. (2019) 2 एस. सी. सी. 1 देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

समाधान योजना को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा जाता है, या तो उसके समक्ष अपील को अनुमति देने या खारिज करने के माध्यम से, मुकदमेबाजी में लिए गए समय की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय लेने में विलंब करेंगे। यह केवल यह कहने के लिए है कि एन. सी. एल. टी., या एन. सी. एल. ए. टी., या इस न्यायालय द्वारा किसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए समय लेने की स्थिति में

270 दिनों की अवधि, मामले को तय करने के लिए कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय को संभवतः बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्यथा एक अच्छी समाधान योजना को स्थगित करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप

निगमित मृत्यु, और इसके परिणामस्वरूप विस्थापन

कर्मचारी और कर्मचारी।

87. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, आइए पहले जांच करें

न्यूमेटल द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना। संख्यात्मक था

मॉरीशस में 13-10-2017 पर निगमित, स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार यानी ESIL के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। दो अन्य कंपनियाँ। ए. एच. एल. और ए. ई. एल. को भी उसी दिन मॉरीशस में शामिल किया गया था। श्री रवि रुइया के पुत्र श्री रेवंत रुइया (जो ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक थे)

मुद्रा की राजधानी। इस स्तर पर कोई संदेह नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हो कि श्री रवि रुइया के पुत्र होने के नाते श्री रेवंत रुइया को विनियमन 2 (1) (क्यू) (वी) के अंतर्गत आने वाले निगमित देनदार के साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति माना जाएगा।

2011 के अधिग्रहण विनियम।

96. आई. बी. सी. की धारा 12 के मामले में भी, इस न्यायालय ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के कार्यभार पर ध्यान देते हुए, प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि समय की शर्त निर्देशिका थी। इस न्यायालय ने कहा कि विफलता

निर्धारित समय के भीतर समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के परिणामस्वरूप एक अन्यथा अच्छी समाधान योजना को स्थगित करके कॉर्पोरेट मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस न्यायालय ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया और कॉरपोरेट के समय पर पूरा होने के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया अन्यथा समय-सारणी को बनाए रखने में विफलता के लिए ऋणदाता को परिसमापन में डाल दिया जाता है।

97. भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय की दिवाला समिति ने मार्च 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि

आई. बी. सी. का इरादा उन ऋणों को जीवन का एक नया पट्टा देना नहीं हो सकता था जो पहले से ही समय से बाधित थे। इसके बाद धारा 238 ए [2021] 8 एस. सी. आर. थी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 26) द्वारा 6 जून 2018 से आई. बी. सी. में शामिल किया गया।

98. आई. बी. सी. की धारा 238 ए निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 238 ए. सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान

जहां तक हो सके, कार्यवाही या अपीलों पर लागू होगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून के समक्ष

अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

99. जैसा कि इस न्यायालय ने शेष नाथ सिंह और अन्न में कहा था। बनाम।

हममें से एक (इंदिरा बनर्जी, जे.) द्वारा लिखित बैद्यबती शेओराफुली (उपरोक्त), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 91. विधायिका ने अपने विवेक में यह नहीं चुना है कि

शब्दशः लागू सीमा अधिनियम के प्रावधान

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही, लेकिन जानबूझकर शब्दों का उपयोग किया

' जहाँ तक हो सके '। 'जहाँ तक हो सकता है' शब्दों का अर्थ नहीं है

अछूत होना। उन शब्दों को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए

जिनका वे विषय वस्तु के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य बनाते हैं

विधान और वह उद्देश्य जो विधानमंडल की दृष्टि में है। अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी।

जो सीमा बनाने के उद्देश्यों को विफल कर देगा

जहाँ तक 'एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.' में कार्यवाही पर लागू अधिनियम

हो सकता है '।

XXX

XXX

XXX

94. खंड में होने वाले 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का उपयोग 238 आई. बी. सी. टोन में से ए 'विल' शब्दों की कठोरता को कम करता है।

उपरोक्त धारा जिसे आम तौर पर माना जाता है

अनिवार्य है। अभिव्यक्ति 'जहाँ तक हो सकता है' का संकेत है

तथ्य यह है कि सीमा अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान

न्यायनिर्णयनसँ पूर्व कार्यवाही पर लागू नहि भऽ सकैत अछि।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपील प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) यदि वे

आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। में।

उसी समय, 'जहाँ तक हो' शब्दों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है

बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकताओं के कुल बहिष्कार के रूप में

सीमा अधिनियम की धारा 14, लेकिन एक व्यापक, अधिक की अनुमति देता है आवश्यक देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) द्वारा उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

संशोधन, जो के सिद्धांतों के अनुरूप है

सेक्शन ने कहा।

100. आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है। न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.)। एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है।

101. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि है

मुकदमा करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल, यानी चूक की तारीख। गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

नरीमन, जे. द्वारा लिखित कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 6. ..... वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा।

137. "

102. बी. के. शैक्षिक सेवा निजी लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता और एसोसिएट्स 1 4, इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है।

संहिता की शुरुआत के साथ, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।

103. जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ (ऊपर) इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस प्रस्ताव को दोहराया कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल थी, यानी चूक की तारीख।

104. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और Ors.[1]5 इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूक एक था

गलत बने रहना और सीमा अधिनियम 1963 की धारा 23 लागू होगी, जो बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम पर निर्भर करती है। श्री।

ध्यानेश्वर महाराज संस्थान 1.

105. बालकृष्ण सावलराम में पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. को उद्धृत करने के लिए

पुजारी वागमारे (ऊपर):

..... धारा 23 एक निरंतर अधिकार को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि एक

गलत जारी रखें। यह निरंतर गलत का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का एक निरंतर स्रोत बनाता है। और उक्त चोट के जारी रहने के लिए कार्य करने वाले को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि गलत कार्य एक चोट का कारण बनता है जो पूरी तरह से है, तो कोई निरंतर गलत नहीं है, भले ही कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। हालाँकि, यदि कोई गलत कार्य इस तरह का है कि उसके कारण होने वाली चोट जारी रहती है, तो अधिनियम का गठन करता है

गलत जारी रखें। इस संबंध में गलत कार्य से हुई चोट के बीच अंतर करना आवश्यक है।

और जिसे उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। धारा 23 केवल उन कार्यों के संबंध में लागू की जा सकती है जिन्हें निरंतर गलतियों के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है।

106. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सीमा अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करने की मांग करता है, तो प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

107. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय उपरोक्त मामले के तथ्यों में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चूक की तारीख का उल्लेख एन. पी. ए. की तारीख के रूप में किया गया था और यह निर्विवाद रहा कि आवेदन में न तो चूक की कोई अन्य तारीख बताई गई थी और न ही किसी स्वीकृति के बारे में कोई सुझाव दिया गया था।

108. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस अदालत ने कहा कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत थे

15 (2019) 9 एससीसी 158

16. 1959 उदाहरण के लिए (2) एस. सी. आर. 476 देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लागू होने पर, विचाराधीन आवेदन पर, उसमें चूक के संबंध में अभिकथनों को देखते हुए और पावती के संबंध में किसी अन्य अभिकथन के अभाव को देखते हुए, यह लागू नहीं होगा।

109. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जो उठाया और तय किया जाता है न कि कानून में की गई कोई टिप्पणी।

मामले के तथ्य। जैसा कि वी. सुधीश पाई ने "संवैधानिक सर्वोच्चता-एक पुनरीक्षण" में बहुत उपयुक्त रूप से लिखा है, "न्यायिक कथन/घोषणाएं किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में होती हैं। किसी कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए यह हो सकता है

न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक है, लेकिन इस तरह चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए। उपरोक्त परिच्छेद को सेश नाथ सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के हिस्से के रूप में निकाला और शामिल किया गया था।

110. इस मामले में, स्वीकार किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष नए दस्तावेज थे, जिनमें दिनांकित प्रस्ताव पत्र भी शामिल था। 3.03.2017 5 करोड़ रुपये के भुगतान पर वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के बकाया के एक बार के निपटान के लिए। 5. 5 करोड़। अपीलार्थी बैंक ने 31 मार्च, 2018 तक के वित्तीय विवरणों के अलावा ओ. ए. 16/2015 में 27 मार्च, 2017 के अंतिम निर्णय और आदेश और 25 मई, 2017 के बाद के वसूली प्रमाणपत्र No.2060/2017 पर भी भरोसा किया है, जो आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई का कारण है।

111. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (ऊपर) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि अंतिम छोर पर अभिवचनों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। एनसीएलटी की कार्यवाही। इसके अलावा, इस मामले में, संशोधन कार्यवाही के अंतिम अंत में नहीं किए गए थे, बल्कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार करने से पहले, उनकी शुरुआत के ढाई महीने के भीतर किए गए थे।

112. इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलार्थी बैंक द्वारा दायर सभी दस्तावेजों की प्रासंगिकता की जांच करे।

आवेदन 2019 का आई. ए. No.27 और 2019 का आई. ए. सं. 131 हैं। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेज 2019 के आई. ए. No.27 और 2019 के आई. ए. No.131 और सहायक शपथपत्रों में अभिवचनों ने संबंधित दस्तावेजों की तारीखों से नए सिरे से सीमा की गणना के लिए एक मामला बनाया। यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि दस्तावेजों के निष्पादन के कारण अप्रासंगिक हैं। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि उनमें से कोई भी दस्तावेज जबरदस्ती के माध्यम से निकाला गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

113. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, विपरीत पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई वर्तमान निर्वाह देयता की स्वीकृति और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

114. शेष नाथ सिंह और अन्र। वी. बैद्यबती शेओराफुली

सहकारी बैंक लिमिटेड (ऊपर) इस न्यायालय ने हममें से एक (इंदिरा बनर्जी जे.) के माध्यम से बोलते हुए कहा कि आई. बी. सी. धारा 14 या 18 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के आवेदन को बाहर नहीं करता है। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 या 18 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

कार्यवाहियों पर सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव को हटा दें। आई. बी. सी. के तहत शुरू किया गया।

116. इनसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. बिशाल जयसवाल और अन्र। (ऊपर) जहाँ यह न्यायालय नरीमन के माध्यम से बोल रहा है

जे. ने शेष नाथ सिंह (ऊपर) और लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) पर भरोसा किया और कहा कि आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 18 के लागू होने का सवाल अब एकीकृत नहीं था। 117. खान बहादुर शापूर में फ्रेडूम मजदा बनाम। दुर्गा प्रसाद चमारिया और अन्य 1 7, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वारा निर्धारित स्वीकृति

धारा 19 केवल ऋण का नवीनीकरण करती है; यह कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाती है। यह केवल इस संबंध में दायित्व की स्वीकृति है

प्रश्नगत अधिकार का; इसके साथ स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से भी भुगतान करने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कथन पर स्वीकृति का निवेदन आधारित है, वह वर्तमान निर्वाह दायित्व से संबंधित होना चाहिए, हालांकि उक्त दायित्व की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को शब्दों में इंगित नहीं किया जा सकता है। स्वीकृति में उपयोग किए जाने वाले शब्द,

हालांकि, के बीच न्यायिक संबंध के अस्तित्व का संकेत देते हैं

17 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1236 देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

ऋणी और लेनदार जैसे पक्षकार, और यह प्रतीत होना चाहिए कि बयान इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने के इरादे से दिया गया है। इस तरह के इरादे का अनुमान प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ द्वारा लगाया जा सकता है, और इसकी आवश्यकता नहीं है

शब्दों में व्यक्त किया। यदि कथन काफी स्पष्ट है तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है। प्रश्न में प्रवेश व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होना चाहिए

उन परिस्थितियों में और शब्दों में किया गया है जिनसे अदालत यथोचित रूप से अनुमान लगा सकती है कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति का इरादा बयान की तारीख के रूप में एक स्थायी दायित्व का उल्लेख करना है। लिखित रूप में दिए गए बयानों में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ लगाने में, जिन पर स्वीकृति का अनुरोध मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करता है, को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, लेकिन आसपास की परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जा सकता है। कहा गया है कि आम तौर पर अदालतें ऐसे बयानों के उदार निर्माण के पक्ष में झुकती हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जहां कोई प्रवेश नहीं है।

ऐसा किया जाता है कि किसी का अनुमान लगाया जाना चाहिए, या जहां एक बयान स्पष्ट रूप से न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना किया गया था, तो इस तरह के इरादे को एक शामिल या दूरगामी प्रक्रिया द्वारा बयान के निर्माता पर लगाया जा सकता है।

तर्क। मोटे तौर पर कहा गया है कि यह धारा 19 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का प्रभाव है, और वास्तविक कानूनी प्रावधानों के बारे में पार्टियों के बीच वास्तव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इस मामले में स्थिति "।

118. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लेखा पुस्तकों और/या कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में प्रविष्टियां एक के बराबर होंगी

सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत स्वीकृति। परिसंपत्ति में

पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v. बिशाल जयस्वाल और अन्र। (उपरोक्त) नरीमन द्वारा लिखित, जे. इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी के निर्णयों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। इस्माइल गुलाम हुसैन अरिफ, 1 8 ["बंगाल सिल्क मिल्स"] और रे पांडेम टी में Co.[19][9]

लिमिटेड, दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। जनरल कृष्ण शमशेर जंग बहादुर राणाओ और

हेगड़े गोले लिमिटेड बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। स्टेट बैंक

18 ए. आई. आर. 1962 कैल 115 19 ए. आई. आर. 1974 कैल 170 20 आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712 [2021] 8 एस. सी. आर.

भारत की धारा 2 1 और यह अभिनिर्धारित किया कि तुलनपत्र में किए गए दायित्व की स्वीकृति ऋण की स्वीकृति के बराबर हो सकती है।

119. बंगाल सिल्क मिल्स कं. (ऊपर) में कलकत्ता उच्च न्यायालय

आयोजितः

" 9. ..... मैं नागपुर के तर्क से सहमत नहीं हूं।

निर्णय लें कि एक तुलनपत्र सीमा को नहीं बचाता है क्योंकि

इस पर किए गए दावों को निर्धारित करने के लिए एक कर्तव्य के तहत तैयार किया गया है

कंपनी और दायित्व स्वीकार करने के इरादे से नहीं। तुलनपत्र में दायित्व की स्वीकृति होती है; अभिकर्ता

दायित्व की स्वीकृति केवल इस आधार पर कि वे एक वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए थे। मैं देखता हूँ कि

नागपुर मामले में तुलनपत्र पर एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

निदेशक और बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया था

निदेशक या कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में

और ऐसा लगता है कि वास्तविक निर्णय पर अलग किया जा सकता है

इस आधार पर कि बैलेंस शीट नहीं बनाई गई थी या उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे

कंपनी का विधिवत अधिकृत अभिकर्ता।

} }

11. धारा 19 के तहत आने के लिए लेनदार को ऋण की स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह ऋण का भुगतान करने के वादे के बराबर है। इंग्लैंड में यह माना गया है कि ए

किसी कंपनी की तुलन-पत्र जिसमें उसकी राशि का उल्लेख हो।

सिविल की धारा 5 के तहत विशेष ऋण के संबंध में लेनदार के प्रति ऋण पर्याप्त स्वीकृति है। प्रक्रिया अधिनियम, 1833 (3 और 4 वसीयत-4 सी। 42) , देखें रीः अटलांटिक

और पैसिफिक फाइबर इम्पोर्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड,

[1928] च. 836 ..... "

120. रे पांडेम टी कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, सब्यसाची मुखर्जी

J.held:

" 4. अब सवाल यह है कि क्या लाभ और हानि खातों में निहित विवरण और संपत्ति और देनदारियां याचिका दायर करने वाले लेनदार के दायित्व का संकेत देते हैं।

निदेशकों के बयान के साथ

21 आई. एल. आर. 1987 कर 2673 ए बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निदेशक के रूप में शेयरधारकों की रिपोर्ट को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो क्या इन दोनों विवरणों को एक साथ पढ़ना एक स्वीकृति के बराबर है जैसा कि नीचे विचार किया गया है।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 या सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19। मेरी राय में, इन दोनों कथनों को एक साथ पढ़ना होगा। तुलनपत्र शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है और आम तौर पर शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ होता है। इसलिए तुलनपत्रकों को समझने और तुलनपत्रों में दिए गए विवरणों को समझाने के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के साथ तुलनपत्रों को भी लिया जाना चाहिए।

मिल्स वी। एल्यूमीनियम कार्पोरेशन। ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1971) 1 एस. सी. सी. 67: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1482 में कहा गया था कि यह स्पष्ट था कि जिस कथन पर स्वीकृति की याचिका स्थापित की गई थी, वह धारा के अनुसार एक स्थायी दायित्व से संबंधित होना चाहिए और यह होना चाहिए - अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया गया। हालाँकि, यह एक स्वीकृति के लिए भुगतान करने के वादे के बराबर नहीं है, जिसने कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाया, बल्कि केवल सीमा की अवधि को बढ़ाया। विवरण में देयता की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत कथन में उपयोग किए गए शब्द, हालांकि, वर्तमान निर्वाह देयता से संबंधित होने चाहिए और [2021] 8 एस. सी. आर. को इंगित करते हैं।

पक्षकारों के बीच न्यायिक संबंध का अस्तित्व जैसे कि, उदाहरण के लिए, एक देनदार और एक लेनदार का और

इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा। हालाँकि, इस तरह के इरादे स्पष्ट रूप से होने की आवश्यकता नहीं है और इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

विचाराधीन कथन का निर्माण दिया जाना चाहिए। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जहां एक बयान न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना दिया गया था, तो ऐसा इरादा बनाने वाले व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए। एक शामिल और दूरगामी तर्क द्वारा कथन। दस्तावेज़ के इरादे का पता लगाने के लिए जिसके द्वारा

पावती को दस्तावेज़ के रूप में माना जाना था पूरा पढ़ा जाना चाहिए और पक्षों की मंशा होनी चाहिए

के रूप में पढ़े गए दस्तावेज़ के कुल प्रभाव से पता चला

पूरा। .....

121. दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्ण इशर जंग बहादुर राणा (ऊपर), इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 46. श्री रामेश्वर डायल ने तर्क दिया कि बयान में

कम्पनीक तुलनपत्रक राशि एहि तक नहि भऽ सकैत अछि -

देयता की स्वीकृति क्योंकि तुलनपत्र कंपनियों में प्रावधानों की मजबूरी के तहत बनाया गया है

एक्ट करें। इस तर्क में कोई बल नहीं है। सबसे पहले, खंड

18 सीमा अधिनियम, 1963 में केवल यह अपेक्षा की गई है कि

दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में की गई होनी चाहिए, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि लेखन किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज़ में होना चाहिए। अतः यह तथ्य कि लेखन एक तुलनपत्र में निहित है, महत्वहीन है। दूसरे में

इसके स्थान पर, यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 1913 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210) की धारा 131 यह अनिवार्य बनाती है कि एक वार्षिक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और रखी जानी चाहिए।

निदेशकों द्वारा कंपनी के समक्ष, और धारा 132 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211) के लिए आवश्यक है कि बैलेंस शीट में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की वर्तमान देनदारियों का सारांश होना चाहिए। लेकिन, जैसा कि जे. बच्चन ने बंगाल सिल्क मिल्स बनाम में बताया है। इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़, ए. आई. आर. 1962 कैल 115 हालांकि तैयारी करने के लिए वैधानिक मजबूरी थी।

वार्षिक तुलनपत्र में देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) V बनाने की कोई बाध्यता नहीं थी।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन। विजियानग्राम बनाम के राजा में निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है। विजियानग्राम माइनिंग कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 मैड 136, जोन्स बनाम। बेलग्रोव गुण लिमिटेड , (1949) 1 ऑल ई. आर. 498; और लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी v. ए. के. भल्ला, ए. आई. आर. 1958 पुंज 341, जिसमें कंपनियों की तुलनपत्र में दिए गए विवरणों को कंपनियों के दायित्व की स्वीकृति के बराबर माना गया था।

47. श्री रामेश्वर डायल ने समेकित एजेंसियां लिमिटेड बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख किया। बर्ट्राम लिमिटेड, (1964) 3 ऑल ई. आर. 282। हम वर्तमान में इस निर्णय का विज्ञापन तब करेंगे जब हम श्री रामेश्वर डायल के एक अन्य तर्क पर विचार करेंगे, और

यह कहने के लिए पर्याप्त है जहाँ तक निम्नलिखित तर्क है

प्रिवी काउंसिल को यह मान्यता दी गई है कि कुछ परिस्थितियों में बैलेंस शीट की स्वीकृति हो सकती है - दायित्व। इसलिए, इसे कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी कंपनी की तुलनपत्र में दिए गए बयान दायित्व की स्वीकृति के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं जैसा कि तर्क दिया गया है।

श्री रामेश्वर डायल द्वारा "।

122. हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक ने दी जानकारी

आई. एल. आर. 1987 कर 2673 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 43. कंपनी के तुलनपत्र में निहित दायित्व की स्वीकृति सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु प्रस्तुत करती है। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि भारत में कानून है,

कि स्वीकृति को संबोधित किया जाना चाहिए और लेनदार को सूचित किया गया। "

123. रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम होटल पून्जा इंटरनेशनल प्रा. Ltd.22, अपीलार्थी ने पेपर बुक में दो दस्तावेजों पर भरोसा किया था, अर्थात् (i) 16 अगस्त, 2017 की कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट और (ii) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 23 अप्रैल, 2019 को जारी एक पत्र जिसमें तर्क दिया गया था कि धारा 7 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

आई. बी. सी. को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था, क्योंकि सीमा चलनी शुरू हो जाएगी। 22.2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 289 [2021] 8 एस. सी. आर.

दायित्व की स्वीकृति में उन दस्तावेजों की संबंधित तिथियों से तीन साल की अवधि के लिए नए सिरे से।

124. हालाँकि, इस न्यायालय ने दो कारणों से 16 अगस्त, 2017 और 23 अप्रैल, 2019 की बैलेंस शीट को स्वीकार नहीं किया, पहला कारण

यह दर्शाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं थी कि दस्तावेजों पर सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में कथित स्वीकृति के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि दोनों दस्तावेजों को स्वीकार के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायिक संबंध और दायित्व के अस्तित्व की स्वीकृति के बराबर है, क्योंकि 16 अगस्त, 2017 की तुलनपत्र में किसी भी दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया गया था। बल्कि निगमित देनदार ने विवाद किया था और अपनी देनदारी से इनकार किया था। इसी तरह, 23 तारीख का पत्र

अप्रैल, 2019 को भी दायित्व की स्वीकृति या स्वीकृति नहीं पाया गया। दूसरी ओर, पत्र की भाषा ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में दायित्व से इनकार कर दिया गया था।

125. उल्लेखनीय है कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) में मई 1986 में विजया बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण राशि

1 अप्रैल 1993 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, ऋण वसूली अधिनियम के तहत दायर एक मूल आवेदन से 2001 में समझौता किया गया था और डी. आर. टी. ने मई 2003 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था। विजया बैंक ने मई 2011 में अपनी रिलायंस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कार्य सौंपा जिसके बाद इसमें संशोधन किया गया।

रिकवरी सर्टिफिकेट दिसंबर 2012 में जारी किया गया था। हालाँकि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका 27 जुलाई 2018 को दायर की गई थी।

126. एन. सी. एल. ए. टी. का निष्कर्ष कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि 'निगमित देनदार' ने अपने भीतर के ऋण को स्वीकार किया था।

वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लिए लेखा/तुलनपत्र/वित्तीय विवरणों के विवरण और विशेष रूप से 3 मार्च, 2017 को किए गए एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव सहित ऊपर निर्दिष्ट एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव को देखते हुए तीन साल और ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत होना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

127. सीमा अधिनियम की धारा 18 एक की बात करती है

दायित्व की लिखित स्वीकृति, जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, द्वारा हस्ताक्षरित। यहां तक कि अगर पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, तो उस समय का प्रमाण दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि एक पावती पर्याप्त हो सकती है,

भले ही इसके साथ देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) V का भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने से इनकार किया गया हो।

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

या आनंद लेने की अनुमति या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा जाता है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। 'हस्ताक्षरित' का अर्थ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना है।

इसके बाद तीन साल के भीतर समझौता हो गया। किसी भी मामले में, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तथ्य की अनदेखी की कि 25 मई 2017 को अपीलार्थी बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कॉर्पोरेट देनदार ने वसूली प्रमाण पत्र के संदर्भ में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। वसूली का प्रमाणपत्र अपने आप में अपीलार्थी बैंक को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण देता है। धारा 7 आई. बी. सी. के तहत याचिका 28 मार्च 2014 से तीन साल के भीतर थी। 129. जिग्नेश शाह और एक अन्य वी। भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय ने फेरो में पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया

मिश्र धातु निगम लिमिटेड बनाम। राजहंस स्टील लिमिटेड ", जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे निकाला गया है:

" ..... मेरी राय में, विवाद में योग्यता का अभाव है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी के ऋण की वसूली के लिए एक मुकदमा

कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके मूल पक्ष में विरोधी पक्ष I के विरुद्ध मुकदमा की ऐसी संस्था और उस न्यायालय में इसकी लंबितता वर्तमान समापन कार्यवाही के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ऋण समय की पाबंदी बन गया था जब इस याचिका को प्रस्तुत किया गया था

न्यायालय, इसे इस न्यायालय के माध्यम से समापन कार्यवाही का सहारा लेकर कानूनी रूप से वसूल नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे अधिनियम की धारा 520 के तहत कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से एक अलग मामला होता अगर याचिकाकर्ता कंपनी बंद करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाती 1987 के मुकदमे में कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक डिक्री प्राप्त करने के बाद, और डिक्री असंतुष्ट रही, जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रदान किया गया है।

धारा 434 "।

130. वास्तव में, इस न्यायालय ने जे. नरीमन के माध्यम से बोलते हुए मंजूरी दी।

यह प्रस्ताव कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत एक आवेदन समय बाधित हो सकता है, भले ही कुछ अन्य वसूली कार्यवाही हो सकती हैं।

पहले स्थापित किए गए हैं, सीमा की अवधि के भीतर, संबंध में 23. (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1 196 [2021] 8 एस. सी. आर.

एक ही ऋण से। हालाँकि, यह एक अलग मामला होता, अगर आवेदक ने एक प्राप्त करने के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क किया होता

वसूली कार्यवाही में अंतिम आदेश और/या डिक्री, यदि डिक्री असंतुष्ट रही। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक डिक्री और/या अंतिम निर्णय कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए सीमा की एक नई अवधि को जन्म देगा।

131. यह सच है कि फेरो मिश्र धातु निगम लिमिटेड बनाम में पटना उच्च न्यायालय का निष्कर्ष। राजहंस स्टील लिमिटेड (ऊपर) को प्रस्तुत किया गया था

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 434 (1) (बी) के संदर्भ में, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा यदि कंपनी के किसी लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण की डिक्री या आदेश पर जारी निष्पादन या अन्य प्रक्रिया पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट रूप से वापस कर दी गई थी।

132. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि सिद्धांत आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन पर लागू नहीं होने चाहिए जो एक वित्तीय लेनदार को सक्षम बनाता है।

एक निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करना, जब कोई चूक हुई हो। जैसा कि इस निर्णय में पहले देखा गया है, ऊपर उद्धृत आई. बी. सी. के प्रावधानों को पढ़ने के साथ-साथ, यह स्पष्ट है कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय और/या डिक्री या धन के भुगतान के लिए कोई मध्यस्थ पुरस्कार, यदि संतुष्ट नहीं होता है, तो वित्तीय ऋण के दायरे में आएगा, जिससे लेनदार कार्यवाही शुरू करने में सक्षम होगा।

133. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एक निगमित देनदार है और अपीलकर्ता बैंक एक वित्तीय लेनदार है। सवाल यह है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका चूक की तारीख से 3 साल के भीतर शुरू की गई है। 'चूक' को धारा 3 (12) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है किसी ऐसे ऋण का 'भुगतान न करना' जो देय हो गया है और देय हो गया है, चाहे वह पूरी तरह से हो या किसी भी हिस्से में और जिसका भुगतान निगमित देनदार द्वारा नहीं किया जाता है।

134. यह सच है कि जब आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर की गई थी, तो चूक की तारीख 30 सितंबर 2013 बताई गई थी और

31 दिसंबर 2013 को कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित करने की तारीख बताई गई थी। हालाँकि, यह कहना सही नहीं है कि याचिका में ऋण की किसी भी स्वीकृति का कोई दावा नहीं था। इस तरह के कथनों को संशोधन के माध्यम से विधिवत शामिल किया गया था, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने संशोधित अभिवचनों पर सही ढंग से विचार किया।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

135. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता बैंक ने 12 अक्टूबर 2018 को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दायर की। तीन महीने के भीतर, अपीलकर्ता बैंक ने ओ. ए. 16/2015 में अंतिम निर्णय और दिनांकित 27.3.2017 आदेश/डिक्री और दिनांकित 25.5.2017 वसूली प्रमाणपत्र सहित अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति के लिए एन. सी. एल. टी. में एक आवेदन दायर किया, जिससे अपीलकर्ता बैंक को Rs.52 करोड़ की वसूली करने में सक्षम बनाया गया। डी. आर. टी. और वसूली प्रमाणपत्र के निर्णय और आदेश/डिक्री ने अपीलार्थी बैंक को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका शुरू करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण दिया।

अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि और फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का एक पत्र और 3 मार्च 2017 का एक प्रस्ताव समय निपटान। इस आवेदन को भी 6 मार्च 2021 को अनुमति दी गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नए दस्तावेजों पर विचार किया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार किया।

137. यह मानते हुए भी कि दस्तावेज़ों को बाद के चरण में रिकॉर्ड में लाया गया था, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण श्री शिवशंकर ने तर्क दिया था

उसी पर विचार करने से रोका नहीं गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया गया था।

138. एक अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री निर्णय देनदार पर बाध्यकारी है। एक बार जब कोई दावा अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री में फलता है,

न्यायनिर्णयन पर, और वसूली का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अपने अवमूल्यन देय राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है, अंतिम निर्णय और/या आदेश/डिक्री और/या वसूली प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए लेनदार को एक नया अधिकार प्राप्त होता है।

139. अपीलकर्ता बैंक इस प्रकार जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने का हकदार था।

पुनर्प्राप्ति प्रमाण पत्र। अपीलकर्ता बैंक की याचिका पर कम से कम 24 मई, 2020 तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

140. हालांकि यह सच है कि ऋण के भुगतान में चूक कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के अधिकार को प्रेरित करती है, और इसके तहत एक याचिका आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 को कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है, जो इस मामले में [2021] 8 एस. सी. आर. के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 238 ए के आधार पर चूक की तारीख से तीन साल होगा।

सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के अनुसार, एन. सी. एल. टी. में याचिका दायर करने में देरी, मुकदमा दायर करने में देरी के विपरीत, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत क्षम्य है। इसके अलावा, जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 14 और 18 के ऊपर देखा गया है, आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। 141. सीमा अधिनियम की धारा 18 को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के संबंध में पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ भी नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय कोई कारण नहीं देखता है कि सीमा की अवधि के भीतर किए गए जीवित दावे के एकमुश्त निपटारे के प्रस्ताव को भी सीमा अधिनियम की धारा 18 को आकर्षित करने के लिए एक पावती के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। श्री शिवशंकर द्वारा उद्धृत गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) में, इस न्यायालय के पास एकमुश्त समझौते के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि मई 2017 में अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उपरोक्त अवलोकन के अनुसार, 2016-2017 के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता की तुलनपत्र और वित्तीय विवरण, दायित्व की स्वीकृति का गठन करते हैं, जिसने सीमा को तीन साल के लिए बढ़ा दिया। एन. सी. एल. टी. ने 21 मार्च, 2019 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को सही ढंग से स्वीकार किया।

142. संक्षेप में, हमारी सुविचारित राय में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

तीन वर्ष की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले, इस मामले में सीमा की अवधि तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। 143. इसके अलावा, डी. आर. टी., या किसी अन्य न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित वित्तीय लेनदार के पक्ष में धन के लिए निर्णय और/या डिक्री, या वित्तीय के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।

लेनदार, वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का, निर्णय और/या डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर या वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर, यदि

वित्तीय ऋणदाता को निगमित ऋणदाता, निर्णय के तहत और/या

डिक्री और/या वसूली प्रमाण पत्र के संदर्भ में, या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया।

144. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में अभिवचनों के संशोधन या अतिरिक्त डी. ई. एन. ए. बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v.

सी. शिवकुमार रेड्डी और ए. एन. आर [इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्रपत्र-1 में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन के साथ शुरू में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अलावा। किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में

मामले की परिस्थितियों में, जब अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर, अतिरिक्त अभिवचन और/या दस्तावेज दायर करने के लिए एक आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, और अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। हमारे सुविचारित विचार में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का निर्णय सहायक अभिवचनों के साथ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अपीलार्थी बैंक के अनुरोध पर विचार करना और/या अनुमति देना, और ऐसे दस्तावेजों और अभिवचनों पर विचार करना अपील में हस्तक्षेप के लिए आवश्यक नहीं था।

145. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, विवादित निर्णय और व्यवस्था कानून और तथ्यों में अस्थिर है। अपील तदनुसार है

अनुमति दी गई, और एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन